प्रथम अध्याय

1.1 प्रस्तावना :–

संसार में अनेक प्राणी हैं। मनुष्य सब प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। क्योंकि उसमें बुद्धि और विवेक का विकास शिक्षा के द्वारा ही सम्भव हैं। शिक्षा ही वह उपादान हैं जो मनुष्य व बालक बौद्धिक स्तर को बढाकर उसके जीवन को सुखद बनाती है और मानव व्यवहार लक्ष्योन्मुखी होता और यह जो भी कार्य करता है उसके पीछे कोई न कोई कारण आवश्यक होता है। मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जिसे समझने के लिए उसके सही प्रयोजन को जानना आवश्यक हैं। व्यवहार इतनी जटिल प्रक्रिया है कि उसे अप्रेरणात्मक कारण तक सीमित नहीं किया जा सकता इनके कारको को तभी आंका जा सकता है जब उसे प्रमाणित करने वाले सभी प्रेरकों को पहचान लिया जाये।

अभिप्रेरको के निर्धारण में वातावरण में निहित भौतिक कारको के साथ निहित आन्तरिक वैयक्तिक कारक भी महत्वपूर्ण होते है जिससे किसी भी समाज व देश का भविष्य देखना है, तो वहां के बच्चों को देखो शिक्षित बालक ही कल का सुयोग्य नागरिक बनता हैं। इसके लिए सर्वप्रथम यह प्रयास किया जाना चाहिए कि ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जिसमें बालकों का सर्वागीण विकास हो सके शिक्षा मानवीय चेतना का वह सांस्कृतिक पक्ष है इसके अन्तर्गत परिवार, समाज विद्यालय का वातावरण एवं विद्यालय द्वारा प्रदान की गई शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहता है जिसमें व्यक्ति का बहुमुखी विकास होता है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मानव शिशु में मानवीय गुणों का विकास करके उसे इस योग्य बनाता है कि वह मानव संस्कृति को अधिक सुन्दर और सम्पन्न बनाने में अपना सक्रिय योगदान दे सके और नये नये स्वप्न देखने की चेतना का जागरण जब तक व्यक्ति बंधी बधाई लकीरो पर ही चलता है कोई नया सृजन नही कर सकता।

शिक्षित व्यक्ति अपने समाज व स्वंय की परिस्थितियों के साथ उचित समायोजन करके जीवन को सरल, सुव्यवस्थित और सुखी बनाता है। ज्ञान अनुभवो और समायोजन द्वारा अपने व्यवहार को अधिक समाजोपयोगी, शुद्ध और कल्याणकारी बनाता है।

शिक्षा सतत् व अनवरत चलने वाले वाले प्रक्रिया है। मानव जन्म से मृत्यु तक जो कुछ सीखता है अपनाता है और अनुभव करता है वह शिक्षा ही है। शिक्षा के माध्यम से ही संसार की वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक व एवं आध्यात्मिक उन्नति सम्भव है सभ्यता के प्रारम्भिक अवस्था में विद्यालय नही थे तथा परिवार समुदाय तथा धार्मिक सस्थाएं ही विद्यालय का कार्य करती थी। मानव अनुभव सोचने की शक्ति और क्षमता भी उस समय अति संकीर्ण थी। मानव जीवन का ज्ञात सरल और उदार था।

शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है। शिक्षा के इतिहास में अतीत की जिस सीमा तक हम जा सकते हैं। जो बहुत लम्बी नही है शिक्षा सामाजिक विकास के हर युग में समाज की दिशा और स्वरूप देने में या उसका समाजीकरण करनें में शिक्षा के लिए पुरा विश्व ही एक व्यापक पाठशाला है और यहां शिक्षा से व्यक्ति का समाजीकरण करती है घर के सभी सदस्य माता–पिता खेल के संगी साथी आस–पड़ौस के वृद्धजन तथा सभी सामाजिक सस्थाएं एवं समितिया सभी शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति समाज व परिवार में आगे बढ़ सकता है।

आज के युग में विभिन्न क्षेत्रों में अधिक में अधिक विकास एवं आविष्कार होने के कारण किसी भी व्यक्ति के लिये यह सभंव नहीं कि वह सम्पूर्ण विषय की पूरी जानकारी प्राप्त कर ले। ऐसी स्थिति मे मनुष्य के अनुभवों को विभिन्न श्रेणियों में रखकर विषय सामग्री को इतना सीमित तथा निश्चिय करके आयु, योग्यता के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण करना आवश्यक हैं।

बालक का समुचित विकास तब ही हो सकता हैं। जब उसके अध्ययन आदत के सार्थक समायोजन कर सके ऐसी स्थिति में बालक का विपरित असमायोजन की दिशा में बालक सदैव तनाव ग्रस्त रहेगा तथा उसका विकास अवरूद्ध हो जायेगा बालक की शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह अपने जीवन में आने वाली किसी भी परिस्थिति व कठिनाई का सामना कर सके। इसके लिए बालक का शारीरिक व मानसिक विकास अच्छा होना आवश्यक है तब ही वह अपने को समायोजन कर सकता हैं।

शिक्षा की परिभाषा :–

1. फ्रॉबेल के अनुसार – ''शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी शक्तियों का विकास करता है।''

2. महात्मा गॉधी के अनुसार – ''शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य के शरीर मस्तिष्क या आत्मा के सर्वागीण एवं सर्वोत्तम विकास से है।''

3. पेस्टालॉजी के अनुसार – ''मानव की आन्तरिक शक्तियों का स्वभाविक व सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है।''

जाति का अर्थ :–

जाति शब्द की उत्पति लैटिन भाषा में "Castus" शब्द से मानी जाती है। जाति का अर्थ ''विशुद्धता'' या आनुवांशिकता के समीप हैं।

जाति इन दोनो तत्वों को कोई विशेष महत्व नहीं देती कुछ जातियां उच्च होती है और कुछ जातियां निम्न होती है इसलिए यह कहा जा सकता है कि –

परिभाषा :–

हॉबेल – ''अन्तर्विवाह तथा आनुवांशिकता पद के द्वारा सामाजिक वर्गो को स्थायी रूप दे देना ही जाता है।''

सी.एच.कुले – ''जब एक पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते है।''

जिस व्यवस्था कुछ समूहों को जन्म के आधार पर एक दूसरे से निम्न या उच्च मान लिया जाता है। वह जाति व्यवस्था हैं। जाति व्यक्ति के समाज जिसमें जन्म हुआ हो, को कहते है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तेली, लुहार, कुर्मी, धोबी आदि कुछ उतरभारतीय हिन्दु जातियां है वैदिक समाज को श्रम विभाजन के निर्मित चारो वर्णो में विभक्त किया गया था। ये चार वर्ण हैः

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शुद्र। किन्तु कालान्तर में इससे लाखो जातियां बन गयी। जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात करना जातिवाद कहलाता हैं।

समायोजन का अध्ययन :–

समायोजन एक सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है समायोजन समाज में व्यक्ति या समूह को जोड़ने वाली प्रक्रिया है यह सघर्ष से सहयोग की और बढ़ने का प्रथम चरण है जब भी दो विरोधी पक्ष प्रतिस्पर्धा या सघर्ष समाप्त करके सहयोग करना चाहते हैं।

आधुनिक काल में जटिल समाज में जहां तरह–तरह के विरोधी समूह, विचार, धर्म, जाति, वर्ग इत्यादि है वहां समायोजन की प्रक्रिया का विशेष महत्व है समायोजन वर्तमान समाज में व्यवस्था एवं सतुंलन बनाए रखने में बहुत मददगार साबित हो रहा है। इस प्रकार का समायोजन वर्तमान समाज का अनिवार्य तत्व है।

शिक्षा के छात्रों में भी समायोजन की आवश्यकता होती है शिक्षक यदि छात्रों के साथ प्रेमपूर्वक सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करते है, तो बालक को आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। इसके विपरित यदि शिक्षक का व्यवहार अच्छा नही होता तो छात्र कक्षा में घबराते है। इससे संवेगात्मक दशा उत्पन्न होती है। इसलिये शिक्षक एवं छात्र का समायोजन होना अति आवश्यक है।

इसी प्रकार समाज में समायोजन अति आवश्यक है व्यक्ति समाज में रहता है। समाज में कुछ पारिवारिक नियम एवं तौर तरीके होते है। व्यक्ति को इन्ही सामाजिक नियमों का पालन करे सामंजस्य स्थापित करता है और जो व्यक्ति समाज में समायोजित नही हो पाता है वह कुसमायोजित व्यक्ति कहलाता हैं।

समायोजन का विश्लेषण :–

- व्यक्ति को उद्देश्यों को पाने के लिए कई प्रकार से समायोजन करना पड़ता हैं।

- जब तक वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नही कर लेता उसका व्यवहार असमायोजित रहता है।
- लक्ष्य प्राप्त ही वह स्वयं को समायोजित कर लेता है।
- परन्तु जो व्यक्ति लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाता वह सतुष्ट रहता है तथा लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास करता रहता है।

समायोजन का विश्लेषण

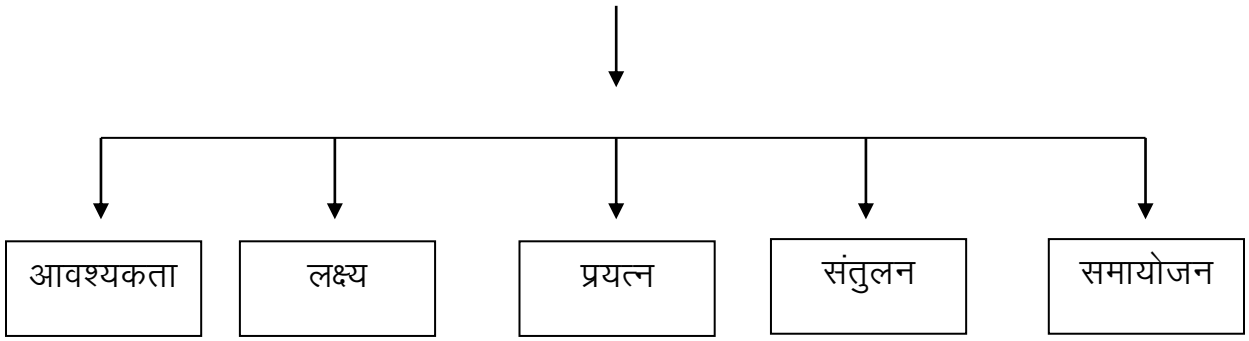

समायोजन में व्यक्ति उद्देश्य के अनुरूप प्रेरणा प्राप्त करता है। उद्देश्य को पाने के लिये प्रतिक्रिया करता है। ये प्रतिक्रिया उद्देश्य और व्यक्ति के बीच में बनी बाधा को तोड़ने के लिये करता है। यदि दी जा रही प्रतिक्रियाओं में से एक प्रतिक्रिया बाधा तोड़ने में सफल हो जाती है, तो व्यक्ति मे संभावित तनाव समाप्त हो जाता है। यदि उद्देश्य अनुरूप सफलता नही प्राप्त होती तो समायोजन कठिन हो जाता है और तनाव उत्पन्न हो जाता है और उद्देश्य की सफलता पर व्यक्ति विशेष सफल समायोजन कर सकता है जो जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का सामना धैर्य, साध्य एवं उत्साह से करता है। इस प्रकार व्यक्ति को अपने घर शिक्षा संस्थान, समाज, संवेगात्मक अवस्था तथा स्वस्थता के क्षेत्र में समायोजन करने की आवश्यकता होती है।

स्मिथ के अनुसार :– ''अच्छा समायोजन वह होता है जो कार्य पर आधारित तथा सन्तोष देने वाला है वह कुठांओं तनावो तथा दुश्चिताओं को जहां तक संभव है कम करता हैं।''

गेट्स के अनुसार :– ''समायोजन की वह स्थिति है जो भली–भांति समायोजित व्यक्ति प्राप्त करता हैं।''

समाज परिवर्तशील है और समाज के आधार पर ही शिक्षा का अस्तित्व टिका हुआ है। समाज में विभिन्न वर्ग जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र आदि के आधारों पर समाज का निर्माण हुआ थ। तथा शुद्रो को समाज में हेय की दृष्टि से देखा जाता था फलस्वरूप भारत की जाति व्यवस्था में सबसे निम्न स्तर की जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है, जिन्हें सैकड़ों वर्षो से विकास से वंचित रखा गया था कालान्तर में इन्हे हरिजन शब्द से भी सम्बोधित किया गया। हरिजन की अधिकांश संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। हरिजन अपनी बस्ती से बाहर निकलने का साहस नहीं कर पाता था परन्तु देश में कृषि विकास अनेक देशो में औद्योगिक प्रगति तेजी से बढ़ते हुए नगरीकरण एवं जजमानी प्रणाली के विघटन के कारण हरिजन गतिशील वर्ग बन गये है। अनुसूचित जाति श्रमिको का लगभग 52 प्रतिशत है। जनसंख्या के अन्य वर्गो में भी निर्धन एवं दलित है तदापि घोर निर्धनता, अज्ञानता एवं अन्धविश्वास में डुबी हुयी जनसंख्या का अधिक भाग अनुसूचित जाति में से है। वंचित लोगों में भी हरिजन ही शताब्दियों तक दासता अपमान एवं नितांत विवशता का जीवन व्यतीत करते रहे है। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों एवं अन्य कमजोर वर्गो के लिए विशेष रूप से उनके अधिकारों को मान्यता देकर उनके शैक्षिक एवं आर्थिक हित का विकास करेन एवं उनकी सामाजिक अयोग्यताओं को दूर करने का प्रयास किया जाये। अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों का शैक्षिक विकास नहीं होने के कारण उनका शिक्षा के प्रति झुकाव कम था कालान्तर मे सभ्यता के साथ साथ उनको बिना किसी भेदभाव किये शैक्षिक अवसरों मे समानता दिया गया। कई वर्षो से पिछड़े होने के कारण आज वे समाज के साथ समायोजित नही हो पाते फलस्वरूप सामान्य जाति व अनुसूचित जाति व जनजाति के समायोजन मे अन्तर आ जाना स्वाभाविक हैं।

1.2 समस्या का औचित्य :–

वर्तमान युग प्रतियोगिता इस प्रतियोगिता की शुरूआत विद्यालयी स्तर पर हो जाती है समाज परिवर्तनशील है और समाज के आधार पर ही शिक्षा का अस्तित्व टिका हुआ है। समाज मे विभिन्न वर्ग जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र आदि के आधारों पर समाज का निर्माण हुआ था। तथा शुद्रो का समाज मे हेय दृष्टि से देखा जाता था। फलस्वरूप अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों का शैक्षिक विकास नहीं होने के कारण उनका शिक्षा के प्रति झुकाव कम था कालान्तर में सभ्यता के साथ–साथ उनकों बिना किसी भेदभाव किय शैक्षिक अवसरों में समानता दिया गया। कई वर्षो से पिछड़े होने के कारण आज वे सामान्य जाति व अनुसूचित जाति व जनजाति के समायोजन मे अन्तर आना स्वाभाविक है।

शिक्षा समाज के रूचि की एक उचित व्यवस्था है, शिक्षा के माध्यम से ही बालक में समाजिक गुणों का विकास होता हैं। समाज की संरचना में परिवर्तन होन पर शिक्षा में भी परिवर्तन आवश्यक हैं। विद्यार्थी विद्यालय की विभिन्न परिस्थितियों मे अपने आपको समायोजित नही कर पाते है जिससे वे हमेशा कुठितः हो जाते है तथा उनमें हीन भावना बनी रहती है। जिसके कारण विद्यार्थी के समक्ष अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है जिससे या तो बालक शिक्षक के व्यवहार कक्षा के अर्न्तगत जो निम्न जाति के विद्यार्थी होते है उनमें अध्ययन के साथ समायोजन करने की शक्ति बहुत कम होती हैं।

शिक्षा की वर्तमान स्थिति मे विद्यार्थी अपनी आकांक्षा के अनुरूप शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। कभी कुछ विद्यार्थी कुछ शिक्षकों के भेदभाव व्यवहार के कारण कक्षा में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते और समायोजन के अभाव में भी विद्यार्थी हीन भावना के शिकार हो जाते है। इससे विद्यार्थी कुसमायोजित हो जाते हैं और उनका संवेगात्मक सामाजिक व शैक्षिक विकास नहीं के बराबर हो जाता है। अतः जब विद्यार्थी कुसमायोजित होकर हीन भावना के शिकार हो जाते हे तब ऐसी स्थिति मे उनके समायोजन व लक्ष्य की पूर्ति हेतु शिक्षकों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे विद्यार्थी को उनके अनुकूल के शिक्षा देने का प्रयास करें तथा उनके

लक्ष्य को ध्यान मे रखते हुए उन्हें प्रेम व प्रोत्साहन द्वारा समायोजित करें और विद्यार्थियों में प्रतिकूल स्थितियों में भी स्थिरता बनाये रखने की क्षमता का विकास किया जायें।

1.3 समस्या कथन –

माध्यमिक स्तर के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के मध्य समायोजन का सर्वेक्षणात्मक अध्ययन।

1.4 समस्या से उभरने वाले प्रश्न–

1. क्या अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों का समायोजन क्षमता का विकास किया जा सकता है।
2. क्या अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर की उन्नति किया जा सकता है।
3. क्या अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों की सामाजिक स्थिति में सुधार किया जा सकता है।
4. क्या अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है।
5. क्या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों में हीन भावना को दूर किया जा सकता है।

1.5 शोध के उद्देश्य–

1. माध्यमिक स्तर के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के समायोजन में सर्वेक्षणात्मक का अध्ययन करना।
2. ग्रामीण एवं शहरी छात्रों के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों में समायोजन का सर्वेक्षणात्मक का अध्ययन करना।
3. छात्रों एवं छात्रों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों में समायोजन का सर्वेक्षणात्मक का अध्ययन करना।

1.6 तकनीकी शब्दों का परिभाषीकरण–

विद्यार्थी– विद्यार्थी शब्दों से तात्पर्य यहां छात्र एवं छात्राओं से है।

माध्यमिक– माध्यमिक शब्द का प्रयोग नवी एवं दसवी कक्षाओं हेतु किया जाता है।

जाति– जाति का अर्थ 'विशुद्धता' या आनुवांशिक के समीप है।

समायोजन– समायोजन शब्द का तात्पर्य व्यक्ति की स्वयं की आवश्यकताओं तथा बाह्य वातावरण के साथ सन्तुलित व्यवहार करना है।

1.7 शोध की परिकल्पनाएँ–

1. माध्यमिक स्तर के अनुसूचित जाति व अनु. जनजाति के शहरी व ग्रामीण के विद्यार्थियों के समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

2. शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति व अनु. जनजाति के विद्यार्थियों के समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

3. ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति व अनु. जनजाति के विद्यार्थियों के समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

4. शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

5. शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

6. ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

7. ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

1.8 चर –

चर से तात्पर्य वस्तु, घटना अथवा चीज के उन गुणों से होता है जिन्हें माप जा सकता है।

स्वतंत्र चर– समायोजन

आश्रित चर– विद्यार्थी

1.9 न्यादर्श –

प्रस्तुत अध्ययन के लिए जयपुर जिले में (ग्रामीण एवं शहरी) माध्यमिक विद्यालय का चयन किया गया जिनमें अध्ययनरत् अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों का अध्ययन किया गया। इस प्रकार न्यादर्श के रूप में 80 छात्रों को लिया गया। जिनमें से 40 छात्रों को ग्रामीण तथा 40 छात्रों को शहर से लिया गया।

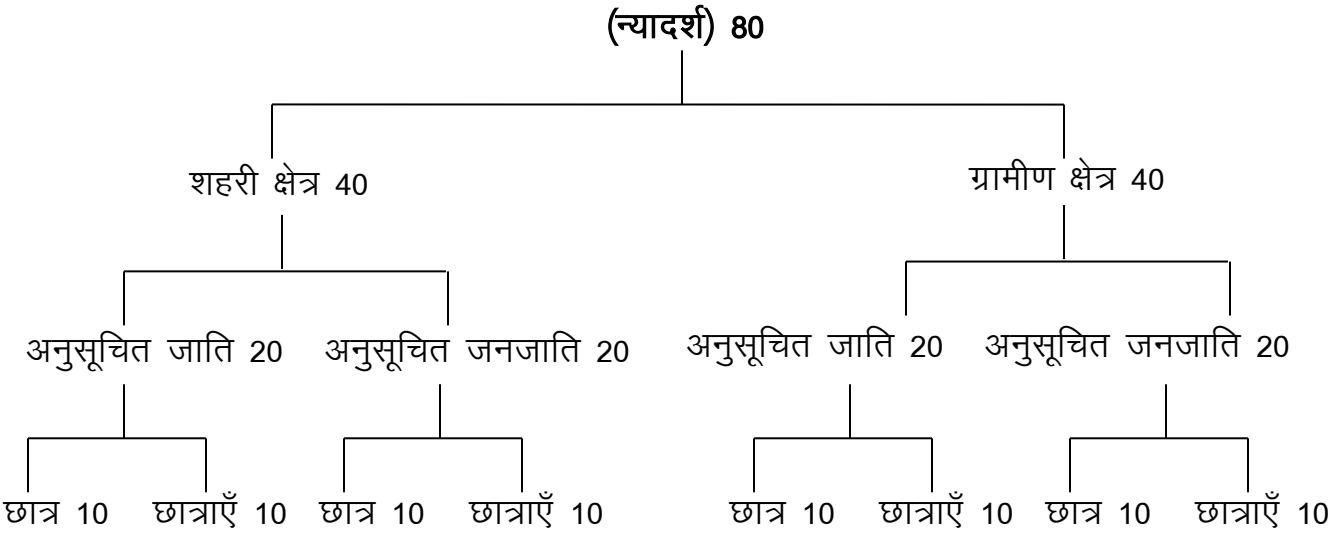

1.10 समस्या का परिसीमन –

शिक्षा व ज्ञान की सीमा अनन्त है परन्तु किसी विषय के शोध कार्य हेतु समय एवं साधनों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन के विषय की परिसीमाएँ निर्धारित करनी होती है।

1. प्रस्तुत शोध कार्य हेतु केवल जयपुर जिले के फुलेरा व सांगानेर तहसिल को चुना गया है।
2. प्रस्तुत अध्ययन में ग्रामीण एवं शहरी दोनों प्रकार के विद्यालयों का चयन किया गया है।
3. इस अध्ययन के लिए सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया है।
4. इस अध्ययन के लिए माध्यमिक विद्यालय के 9वी कक्षा के विद्यार्थियों का चयन किया गया है।
5. इस अध्ययन के लिए माध्यमिक विद्यालय के अनुसूचित जाति जनजाति के 80 छात्र–छात्राओं चयन किया है।

द्वितीय अध्याय

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन व पुनरावलोकन

2.1 प्रस्तावना :–

प्रत्येक शोधार्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने शोध विषय से सम्बन्धित का गहन अध्ययन करे। जिससे शोधार्थी को यह ज्ञात हो जाता है कि इस क्षेत्र में कौनसे शोध कार्य हो चुके है। जिससे शोधकर्ता पुनरावृति से बच सके। इससे शोधार्थी को अपने विषय के सम्बद्ध में अन्तदृष्टि पैदा होती है जिसके आधार पर वह अपने शोध कार्य को सफलता के साथ सम्पन्न कर सकता हैं।

किसी भी क्षेत्र का साहित्य उस आधार शिक्षा के समान है। जिस पर सारा भावी कार्य होता हैं। सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन अनुसंधान के लिए समस्या के चयन, समस्या की सैद्धानिक पृष्ठभूमि, उद्देश्य के निर्धारण अध्ययन की रूपरेखा में निर्मित करने में सहायता प्रदान करता हैं। अतः विद्वानो द्वारा पूर्व संचित ज्ञान का अध्ययन कर उसके आधार पर आगे बढ़ा जाये।

2.2 सम्बन्धित साहित्य का अर्थ एवं परिभाषा :–

''मनुष्य अतीत के संचित एवं आलेखित ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान का सृजन करता है।'' मनुष्य के ज्ञाने के अटुट कृमिमता एवं प्रगतिशीलता होती है और अन्य जीव जन्तुओं के ज्ञान में अप्रगतिशील एवं पुनरावृति। व्यावहारिक आधार पर सम्पूर्ण मानवीय ज्ञान पुस्तकें तथा पुस्तकालयों में सुरक्षित रहता है प्रत्येक पीढ़ी इस ज्ञान को प्राप्त करके निरन्तर आगे की और विकसित करने का प्रयास करती है। इस निरन्तर प्रयास का परिणाम है कि उसके ज्ञान का भण्डार सर्वथा बढ़ता रहता है प्रत्येक समस्या का कोई न कोई इतिहास होता है अतः इससे सम्बन्धित साहित्य को पढकर ही उपकल्पनाओं व उद्देश्यों का निर्माण ठीक प्रकार से हो सकता हैं। सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन से शोधकर्ता की सुक्ष्म दृष्टि विकसित होती है तथा समस्या के समाधान में सफलता मिलती हैं।

सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से सम्बन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान कॉफी पत्र–पत्रिकाओं प्रकाशित तथा अप्रकाशित शोध प्रबन्धों एवं अभिलेखों से है। जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता की अपनी समस्या के चयन परिकल्पनाओं के निर्णय अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती हैं।

परिभाषाएं :–

- **बेरट के अनुसार –** ''व्यावहारिक दृष्टि से सारा मानव ज्ञान पुस्तकों में प्राप्त किया जा सकता है अन्य जीवों के अतिरिक्त जो प्रत्येक पीढ़ी में नये सिरे से प्रारम्भ करते है। मानव समाज अपने प्राचीन अनुभवों को सग्रठित एवं सुरक्षित रखता है ज्ञान के अथाह भण्डार में मानव वर्ग निरन्तर योगदान सभी क्षेत्रों में उसके विकास का आधार है''
- **रमला के अनुसार –** ''कोई भी शोध सम्बन्धित लिखित विवरण तब तक उपयुक्त नहीं समझा जाता जब तक की उसे शोध से सम्बन्धित साहित्य के आधार पर उस विवरण में ना हो।''
- **ट्रेपर्स के अनुसार –** ''किसी क्षेत्र की समस्यओं एवं तथ्यों से सुपरिचित होने के लिए उस विषय से सम्बन्धित साहित्य पढ़ना आवश्यक है।''

अतः सम्बन्धित साहित्य के पुनरावलोकन से शोधकर्ता को उस क्षेत्र सम्बन्धित अध्ययन की जानकारी हो जाती है विषय की गहराई तक पहुँचने में सफलता मिलती है तथा समस्या के सभी पक्षो पर विचार विमर्श करता हैं।

2.3 सम्बन्धित साहित्य के उद्देश्य :–

यह परिकल्पना के लिए साधन प्रदार करता है। शोधकर्ता प्राप्त अध्ययन के आधार पर शोध की परिकल्पन बना सकता हैं। समस्या के परिभाषीकरण, अवधारणायें, सीमांकन तथा परिकल्पना के निर्माण में सहायता करता हैं।

यह शोध के लिए विचार, व्याख्याएं सिद्धान्त तथा परिकल्पनाएं प्रदान करता है। जो नयी समस्या के चयन में उपयोगी हैं। सम्बन्धित साहित्य शोध समस्या का पूर्ण समाधान प्रस्तुत

करते हैं। सम्बन्धित साहित्य शोध समस्या के समाधान के लिए उचित विधि प्रक्रिया तथ्यों के साधन व सांख्यिकी तकनीकी का सुझाव देता हैं। सम्बन्धित साहित्य शोध की समस्या हेतु शोध की समुचित विधि का सुझाव देते हैं।

शोध कार्य का स्वरूप बनाने के लिये सम्बन्धित साहित्य को एकत्रित करना यह परिमाणो के विश्लेषिकरण में उपयोगी निष्कर्षो और तुलनात्मक तथ्यों को निर्धारित करता है। सम्बन्धित अध्ययनों से निकाले गये निष्कर्षो की तुलना की जा सकती है और समस्या के निष्कर्षो के लिए उपयोगी हो सकती हैं।

2.4 सम्बन्धित साहित्य के स्त्रोत :–

सम्बन्धित साहित्य की सूचनाओं के लिए पुस्तकालय एवं अन्य साधनों से परिचित होना आवश्यक हैं। पुस्तकालय में उपलब्ध किसी भी शोध के क्षेत्र में विद्यमान सूचनाओं के स्त्रोत दो प्रकार के होते हैं–

लिखित स्त्रोत :–

सम्बन्धित साहित्य के लिखित स्त्रोत में वह सब पूर्व संकलित सामग्री सम्मिलित होती है। जो प्रकाशित एवं अप्रकाशित रूप से हमें प्राप्त होती हैं।

- शिक्षा से सम्बन्धित मासिक पक्षिक व साप्ताहिक पत्र–पत्रिकाएं लेख :– सामयिकी वह प्रकाशन है जो नियमित समान्तर से उतरोतर प्रकाशित होता है।
- पुस्तकें तथा पाठ्यपुस्तकों की सामग्री
- विश्व कोष :– विश्व कोषो में विशेषज्ञों द्वारा लिखे गये विभिन्न विषयों पर संक्षिप्त सूचनायें होती हैं। विश्व ज्ञान कोष किसी एक क्षेत्र में विस्तृत सामग्री प्रस्तुत करता हैं।
- पत्रावली, पुस्तकें और सहायक पुस्तकें तथा निर्देशिका।
- बुलेटिन मोनोग्राफ, वार्षिक पुस्तकें एवं सर्वेक्षण प्रतिवेदन।
- शोध ग्रंथ एवं लघुशोध ग्रंथ
- शिक्षा का मनोविज्ञान सम्बन्धित लेख सार

- ग्रंथ सूची
- समाचार पत्रः– किसी क्षेत्र के नये विकास सम्मेलन अभिलेख ओर भाषणों की नवीनतम सूचनाये देते है। नवीन घटनाये शैक्षिक समाचार भी समाचार पत्रों में प्रकाशित होते है यह भी साहित्य के पुनर्निरीक्षण के महत्वपूर्ण स्त्रोतों में हैं।

संकलित स्त्रोत :–

संकलित स्त्रोत में शोधार्थी स्वयं प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित सामग्री का चयन करता है। शोध से सम्बन्धित सामग्री को एकत्रित करता है अतः स्पष्ट है कि मानव का सामग्री ज्ञान, पत्र–पत्रिकाओं में संचित रहता है तथा उसके उपयोग लेने का सरल तरीका है। प्रत्येक शोधार्थी उस संचित ज्ञान को प्राप्त कर चिंतन मनन या कुछ परिवर्तन करके लगातार विकास करने का प्रयास करता है। इससे शोधार्थी का ज्ञान बढता रहता है। तथा शोधार्थी को अपने कार्य की सफलता के लिए पुस्तकालयों से शोध से सम्बन्धित पत्रिकायें पुस्तकें लघु शोध तथा अन्य किये गये शोध कार्य को पढ़े जिससे वह पहले किये गये अनुसंधानों के संतोषप्रद विवरण से अपने को परिचित करें। तथा यह देखे कि सन्दर्भ साहित्य से उस ज्ञान को प्राप्त कर सकेगा कि समस्या सम्बन्धित किस विषय पर कार्य हो चुका है तथा शोध की कौनसी विधि सफल रही।

2.5 सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन के लाभ :–

1. सम्बन्धित साहित्य अनावश्यक पुनरावृति से बचाता हैं।
2. सम्बन्धित साहित्य का ज्ञान सभी प्रकार के विज्ञान तथा शास्त्रों में अनुसंधानकर्ता का आधार हैं।
3. यह समस्या के चुनाव विश्लेषण एवं कथन में सहायक होता हैं।
4. इससे अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने में सहायता मिलती हैं।
5. समस्या के सीमांकन में सहायक होता हैं।

6. अध्ययन की विधि में सुधार कर श्रम की बचत करता है तथा अनुसंधानकर्ता में आत्मविश्वास पैदा करता है।

7. समस्या के अध्ययन में अन्तदृष्टि सुझ पैदा करता हैं।

8. भावी अनुसंधान से उचित सहायता पैदा करता हैं।

9. अनुसंधानकर्ता की त्रुटियों से बचाता व सावधान करता हैं।

2.6 सम्बन्धित शोध अध्ययन :–

केवल मानव ही एक ऐसी प्राणी है, जो सदियो से एकत्र किये गये ज्ञान का लाभ उठा सकते है। मानवीय ज्ञान के तीन पक्ष होते है। ज्ञान को संचित करना ज्ञान का प्रसारण करना ज्ञान में वृद्धि करना यह शोध में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं जो कि वास्तविक के समीप आने के लिये निरंतर प्रयास रहता हैं।

शोधकर्ता यह निश्चिय कर सकता है कि इसके द्वारा प्रस्तावित शोध से सम्बन्धित विषयों पर विचारणीय कार्य पहले ही हो चुका है अथवा नहीं

सम्बन्धित शोध अध्ययन ज्ञान के विश्लेषण में सहायक के होते है जिनके माध्यम से समस्या से सम्बन्धित क्षेत्र में अध्ययन के लिए उचित मार्ग का चुनाव किया जाता है। सम्बन्धित शोध कर सहायता से समस्या समाधान कर दिशा में अदृश्यभाती तथ्यों का एकत्रीकरण किया जाता हैं।

भारत में किये गये शोध कार्य :–

1. चौधरी कविता (2007–08) :– ''आवासीय व गैर आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के समयोजन व शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन।''

उद्देश्य :–

1. आवासीय व गैर आवासीय विद्यालयों में अध्ययनत् विद्यार्थियों के सांवेगिक समायोजन का अध्ययन करना।

2. आवासीय व गैर आवासीय विद्यालयों में अध्ययनत् विद्यार्थियों के सामाजिक समायोजन का अध्ययन करना।

3. आवासीय व गैर आवासीय विद्यालयों में अध्ययनत् विद्यार्थियों का कुल समायोजन का अध्ययन करना।

4. आवासीय व गैर आवासीय विद्यालयों में अध्ययनत् विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन करना।

निष्कर्ष :–

1. आवासीय व गैर आवासीय विद्यालयों में अध्ययनत् विद्यार्थियों का समायोजन लगभग समान हैं।

2. गैर आवासीय विद्यालयों में अध्ययनत् विद्यार्थी आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थीयों की अपेक्षा सावेंगिक रूप से अधिक समायोजित पाए गए।

3. आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थी गैर आवासीय विद्यार्थियों की अपेक्षा शैक्षिक रूप से कम समायोजित पाए गए।

4. आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थी गैर आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थीयों की अपेक्षा अधिक समायोजित पाए गए।

5. आवासीय व गैर आवासीय विद्यालयों में अध्ययनत् विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि तुलनात्मक रूप से समान हैं।

2. त्रिपाठी, आभा (2007–08) :– ''माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता का अध्ययन।''

उद्देश्य :–

1. शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए विद्यार्थियों की बुद्धिलब्धि ज्ञात करना।
2. शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए विद्यार्थियों की सामाजिक समायोजन क्षमता का अध्ययन करना।
3. शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए विद्यार्थियों की शैक्षिक समायोजन क्षमता का अध्ययन करना।
4. शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए विद्यार्थियों की शैक्षिक समायोजन क्षमता का अध्ययन करना।

निष्कर्ष :–

1. शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए विद्यार्थियों की बुद्धिलब्धि सामान्य रूप से कम पाई गई।
2. शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए विद्यार्थियों की सामाजिक समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।
3. शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए छात्र–छात्राओं के भावनात्मक समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।
4. शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए छात्र–छात्राओं की शैक्षिक समायोजन क्षमता में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

3. पटेल विनोद (2006) :– उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर समायोजन और उपलब्धि अभिप्रेरणा का प्रभाव।

उद्देश्य :–

1. छात्र एवं छात्राओं के समायोजन की तुलना करना।
2. छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि की तुलना करना।
3. छात्र एवं छात्राओं के उपलब्धि अभिप्रेरणा की तुलना करना।

निष्कर्ष :–

1. समस्त छात्र एवं छात्राओं का समायोजन लगभग समान हैं।
2. समस्त छात्र एवं छात्राओं की उपलब्धि प्रेरणा लगभग एक समान हैं।
3. छात्र एवं छात्राओं के उपलब्धि अभिप्रेरणा का शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव पड़ता हैं।

4. मुकेश वन्द (2005–06) :– छात्रावास व गैरछात्राओं में अध्ययन छात्र–छात्राओं में दिनचर्या एवं समायोजन का अध्ययन।

उद्देश्य :–

1. छात्रावास में अध्ययनरत छात्रों की दिनचर्या एवं समायोजन सम्बंधी समस्याओं का अध्ययन करना।

2. गैर छात्रावास में अध्ययन छात्रों की दिनचर्या एवं समायोजन सम्बंधी समस्याओं का अध्ययन करना।

3. लिंगभेद के आधार पर छात्रावास में अध्ययनरत छात्र की दिनचर्या एवं समायोजन सम्बंधी समस्याओं का अध्ययन करना।

निष्कर्ष :–

1. छात्रावास तथा गैर छात्रावास में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं में दिनचर्या एवं समायोजन का अध्ययन करने पर छात्रावासीय छात्र–छात्राओं की सहमति कम पाई गई।

2. सहमति के प्रति छात्रावासीय छात्र–छात्राओं का मत प्रतिशत छात्रावासीय छात्र–छात्राओं की अपेक्षा अधिक हैं।

3. असहमति के प्रति गैर छात्रावसीय छात्र–छात्राओं का मत प्रतिशत आवासीय छात्र–छात्राओं की अपेक्षा अधिक हैं।

4. इसी प्रकार अनिश्चितता के प्रति छात्रावासीय व गैर छात्रावासीय दोनो प्रकार के छात्र–छात्राओंकी मत प्रतिशत लगभग बराबर हैं।

5. सोनी अनिता (2003) :– ''सह शिक्षा एवं कन्या विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रओं की समस्याओं समायोजन एवं व्यक्तित्व का अध्ययन।''

उद्देश्य :–

1. नगरीय विद्यालयी भिन्न्ता सहशिक्षा एवं कन्या वाले विद्यालयों की छात्राओं की समस्याओं समायोजन एवं व्यक्तित्व का अध्ययन करना।

2. नगरीय स्थानीय विभिन्नता (ग्रामीण व शहरी) वाले महत्व सहशिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्राओं की समस्या समायोजन एवं व्यक्तित्व का अध्ययन करना।

3. विभिन्न पारिवारिक व्यवसाय वर्ग की छात्राओं की समस्यओं, समायोजन एवं व्यक्तित्व का अध्ययन करना।

निष्कर्ष :–

1. विद्यालयों के प्रकार (सहशिक्षा एवं कन्या) का छात्राओं की समस्याओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हैं।

2. शहरी क्षेत्र के सहशिक्षा व कन्य विद्यालयों में से सहशिक्षा की अपेक्षा कन्या विद्यालयों की छात्राओं की समस्याएं अधिक पाई गई।

3. सहशिक्षा छात्राओं का समायोजन कन्या विद्यालयों की छात्राओं की अपेक्षा अच्छा पाया गया।

4. ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में अध्ययनरत छात्राओं की समायोजन क्षमता से ग्रामीण सहशिक्षा छात्राओं की समायोजन क्षमता से ग्रामीण सहशिक्षा छात्राओं की समायोजन क्षमता तुलनात्मक रूप से अच्छी हैं।

6 शर्मा डॉ. संध्या (2003) :– किशोर छात्रों में बाल अपराध की प्रवृति एक अध्ययन समायोजन, सामाजिक व्यवहार, कुण्ठा एवं सामाजिक आर्थिक स्तर के विशेष संदर्भ में।

उद्देश्य :–

1. किशोर छात्र का सामाजिक आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण करना।

2. किशोर छात्र में अपराधी व्यवहार एवं सामान्य व्यवहार के आधार पर समायोजन का अध्ययन करना।

3. सामान्य एवं अपराधी किशोर बालकों में सामाजिक व्यवहार की भिन्नता का अध्ययन करना।

4. कुण्ठा की भावना द्वारा अपचारी व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।

निष्कर्ष :–

1. सामान्य समूह के छात्रों में अपचारी समूहों के छात्रों की तुलना में समायोजन क्षमता अधिक पाई जाती हैं।

2. दोनों समूहों में कुल कुण्ठा प्रतिक्रिया के पक्ष पर सार्थक अन्तर है सामान्य समूह के छात्रों तथा अपचारी समूह के छात्रों में कुण्ठा प्रतिक्रया के पक्ष पर भिन्नता पाई जाती है।

3. अपचारी समूह तथा सामान्य समूह में परिवार कुण्ठा प्रतिक्रिया के आयाम पर सार्थक भिन्नता पाई जाती है।

4. सामान्य समूह अपचारी समूह की तुलना में सामाजिक व्यवहार में अधिक कुशल होते हैं।

5. सामान्य समूह अपचारी समूह की तुलना में सामाजिक व्यवहार में अधिक कुशल होते हैं।

7 उपाध्याय कुमारी अनिता (2003) :– ''नवोदयी विद्यालयो एवं सामान्य विद्यालयों की अध्ययन आदतों एवं समायोजन का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव।''

उद्देश्य :–

1. विद्यार्थियों के सामान्य समायोजन का अध्ययन करना।

2. विद्यार्थियों की अध्ययन आदतो का अध्ययन करना।

3. विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों का अध्ययन करना।

निष्कर्ष :–

1. कुल न्यादर्श विद्यार्थियों की सामान्य समायोजन एवं उसके आयामों पर समायोजन औसत स्तर का हैं।

2. कुल न्यादर्श विद्यार्थियों की अध्ययन आदतो पर लिंगभेद का सार्थक प्रभाव नहीं होता है।

3. कुल प्रतिदर्श विद्यार्थियों की प्रतिशत शैक्षिके उपलब्धि औसत स्तर की हैं।

8. ठाकुर सुश्री रेखा (2003) :– ''विद्यार्थियों की आदतो एवं बुद्धिलब्धि का उनकी गणितीय निष्पति पर प्रभाव''

उद्देश्य :–

1. 9 वी कक्षा के राजकीय विद्यालय के छात्रों की अध्ययन आदतों का अध्ययन करना।

2. 9 वी कक्षा के गैर राजकीय विद्यालय के छात्रों की अध्ययन आदतो का अध्ययन करना।

3. राजकीय विद्यालय के छात्रों की बुद्धिलब्धि का अध्ययन करना।

4. गैर राजकीय विद्यालय के छात्रों की बुद्धिलब्धि का अध्ययन करना।

5. छात्र–छात्राओं की गणितीय निष्पति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

निष्कर्ष :–

श्रेष्ठ तीव्र सामान्य बुद्धि स्तर श्रेणीय, गैर सरकारी विद्यालय के छात्रों की प्रतिशत जबकि मंद सामान्य सीमावर्ती एवं उत्तम बुद्धिलब्धि वाले छात्र गैर सरकारी विद्यालय के तथा निम्न बुद्धिवाले छात्र सरकारी विद्यालयो में हैं।

9 सिनसिनवार सुरेन्द्र सिंह (1999–2000) :– ''सहशिक्षा एवं असहशिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के समायोजन व शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन।''

उद्देश्य :–

1. सहशिक्षा एवं असहशिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों का अध्ययन करना।
2. सहशिक्षा एवं असहशिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों की समायोजनशीलता का अध्ययन करना।
3. सहशिक्षा एवं असहशिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन करना।

निष्कर्ष :–

1. सहशिक्षा एवं असहशिक्षा में छात्र एवं छात्राओं के समायोजन पर प्रभाव नहीं पड़ता हैं।
2. सहशिक्षा के छात्र–छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अन्तर नहीं पड़ता हैं।
3. असहशिक्षा के छात्र–छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि कोई सार्थक अन्तर नहीं होता हैं।
4. सहशिक्षा एवं असहशिक्षा के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता हैं।

10. यादव जय श्री (1996) :– ''बालक अभिभावक संबंधों का छात्र के समायोजन व उपलब्धि स्तर पर प्रभाव।''

उद्देश्य :–

1. विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों का अध्ययन करना।
2. विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों समायोजन क्षमता का अध्ययन करना।
3. बालक अभिभावक संबंधों का उपलब्धियों पर प्रभाव का अध्ययन करना।

निष्कर्ष :–

1. लिंगभेद का बालकों के उपलब्धि स्तर पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता हैं।
2. बालक अभिभावकों सम्बन्धों का छात्र के उपलब्धि स्तर पर सार्थक प्रभाव पड़ता हैं।

11. राजमन्निकम एम एण्ड वसन्थल आर (1993) :–''एडजस्टमेंट प्रोबलम्स ऑफ एडोलसेट स्टूडेण्डस इन रिलेशन टू देअर एचीवमेन्ट।''

उद्देश्य :–

इस अध्ययन मे शोधकर्ता का उद्देश्य समायोजन समस्या का किशोर बालकों की उपलब्धि पर प्रभाव व सम्बन्ध जानना था।

निष्कर्ष :–

समायोजन एवं उपलब्धि में सार्थक सकारात्मक सह–संबंध पाया गया। पारिवारिक आप का बालकों को उपलब्धि पर सकारात्मक प्रभाव पाया गया। इसी प्रकार माता–पिता की शैक्षणिक योग्यता उच्च होने पर उपलब्धि का स्तर भी उच्च पाया गया। अभिभावको के व्यवसाय का बालकों के समायोजन एवं उपलब्धि स्तर पर सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया।

12. रोगली शिव प्रसार (1993) :– ''ए स्टडी ऑफ एडजस्टमेंट इन रिलेशन टू इन्टीग्रेशन एण्ड अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंटस ऑफ रेजीडिशनलस स्कूल।''

उद्देश्य :–

आवासीय विद्यालय में रहने वाले बालकों समायोजन सामाजिक एकीकृत एवं उपलब्धि के मध्य सम्बंधों को ज्ञात करना।

निष्कर्ष :–

1. सामाजिक एकीकरण एवं समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नही पाया गया।

2. आन्ध्रप्रदेश आवासीय विद्यालय के बालकों की उपलब्धि एवं समायोजन मे सार्थक सह–सम्बन्ध पाया गया।

3. लड़के एवं लड़कियों के समायोजन उपलब्धि एवं सामाजिक एकीकरण में सार्थक अन्तर पाया गया।

4. समायोजन सामाजिक एकीकरण एवं उपलब्धि स्तर के आधार पर अनुसूचित जाति एव जनजाति व अन्य जातियों में भी सार्थक अन्तर पाया गया।

विदेशो में किये गये शोध कार्य :–

1. जिडेना, रूजेलोवा (2007)

''एडजस्टमेंट प्राब्लम डायमेन्सियन इन स्लोवक एडोलेसेन्टस''

उद्देश्य :–

15 वर्ष की किशोर बालिकाओं की समायोजन संबंधी समस्याओं का अध्ययन एवं उनकी समायोजन समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन करना।

निष्कर्ष :–

1. असामाजिक व्यवहार, माता–पिता के साथ व्यवहार तथा समूह के साथ व्यवहार बालक–बालिकाओं में समान पाया गया।

2. भावात्मक समस्याएं और चिन्ताएं बालक एवं बालिकाओं में समान रूप से प्रभाव डालती है। जबकि निराशावादी भाव बालकों की तुलना में बालिकाओं में अधिक पाया गया।

2. विलिग, सी.जे. (2006)

''सोशियल इम्पलिकेशन ऑफ स्ट्रेमिंग इन दी जूनियर स्कूल''

उद्देश्य :–

विभिन्न मानसिक स्तर और विभिन्न सामाजिक स्तर के छात्रों के आपसी प्रभाव जानना तथा सामाजिक समायोजन में मित्रता, सामाजिक व्यवहार व उदासीन छात्रों में भेद व कला को समझना।

निष्कर्ष :–

सामान्य स्थिति में छात्रों का समायोजन ज्यादा अच्छा पाया गया जबकि हीन एवं उच्च स्तर के छात्र अधिकतर कुसमायोजित पाये गए जिसके अन्तर्गत वर्ग मे ंसमाजमित्तिय स्तर के बौद्धिक स्तर अपेक्षित था।

3. स्ट्रोचिया, खिरालारो रे (2005)

''सामाजिक आर्थिक स्तर का शैक्षिक आंकाक्षा से संबंध''

उद्देश्य :–

छात्रों के सामाजिक आर्थिक स्थिति का उनकी शैक्षिक आकांक्षा से सम्बंध का अध्ययन करना।

निष्कर्ष :–

1. सामाजिक आर्थिक स्तर आकांक्षा को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक हैं।

2. यदि सामाजिक आर्थिक स्तर स्थिर है तो शैक्षिक आकांक्षा का सार्थक सम्बंध होता हैं।

4. बर्निडल. एल.सी. (1998)

''चिल्ड्रन परसनेल्टी एडजस्टमेंट एंड दी सोशल इकोनॉमी ऑफ देयर फैमलिज''

उद्देश्य :–

छात्रों के व्यक्तित्व का समायोजन एवं पारिवारिक समायोजन सम्बंधी समस्याओं का अध्ययन करना।

निष्कर्ष :–

जो विद्यार्थी उच्च परिवारों से आते है वे अपना व्यक्तित्व सरलता से समायोजित कर लेते हैं।

5. ग्रेन्स, डी.एन. (1990)

''स्टूडेंट फेलियट एण्ड एडजस्टमेन्ट''

उद्देश्य :–

छात्रों के शैक्षिक क्षेत्र में सफल होने के कारण का पता लगाना। सामाजिक संस्कारों के कारण उनके व्यवहारों में अन्तर होने के कारणों का पता लगाना।

निष्कर्ष :–

1. असमायोजित व्यक्तित्व वाले छात्रों का शैक्षणिक स्तर निम्न रहा हैं।

2. इन छात्रों के व्यवहार भी असन्तोषप्रद होते हैं।

6. जनेट, डेविड पी.एच.डी फोर्डम यूनि (1982) 177 पी.पी मैटर टाबी जे. टेटन बाम

''द इफेक्टस ऑफ फोस्टन फेमिली होम्स ऑन ऑफ स्कूल एडजस्टमैंट एण्ड एकेडेमिक एचीवमेंट''

यह अध्ययन उप पालन परिवारों में जिनका परिवारों में यह प्रजातंत्रात्मक बर्हिमुखी स्तर एवं बुद्धिजीवी वातावरण होता है तथा जिनमें अभिभावकों से प्रथक कर दिये गये बच्चों का पालन किया जाता है तथा वे बालकों जो अब नये पालन परिवारों में रहते है उनमें से सात संस्थाओं के बालको का विद्यालयों समायोजन गणितीय एवं पढ़ने की उपलब्धि का परीक्षण करता है ये पालन परिवार न्यूयार्क सिटी एवं काउटी के थे।

निष्कर्ष :–

निष्कर्ष रूप से यह पाया गया कि बुद्धिजीवी एवं प्रजातंत्रात्मक वातावरण से बालकों में स्कूल समायोजन एवं शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक सुधार पाया गया।

7. पोर्टर बैजामिनः ''इफेक्टस ऑफ एक्जामिनट रेस ऑन ब्लैक हाइ स्कीटर्स वाइस आर आई क्यू एक टेस्ट एग्जाइटी स्कोर्स।''

उद्देश्य :–

इस अध्ययन का उद्देश्य प्रकृति की विवादास्पद स्थिति के आधार पर काले एवं गोरे के मध्य बुद्धिलब्धि के अन्तर को जानने के लिए

निष्कर्ष :–

जैन्सन के इस कथन के आधार पर कि अश्वते 80 प्रतिशत लोगों में निम्न बुद्धिलब्धि स्तर पाया जाता है परिणामों मे सार्थक अन्तर नहीं पाया गया अर्थात् बुद्धिलब्धि का श्वेत एवं अश्वेत होने की दशा में कोई सह सम्बंध नहीं पाया गया।

❖ मीर सीनाथियां कुरावस्की (1996) (पी.एज.डी)

''पूर्व किशोरावस्था में समस्या समाधान व्यूह रचना और व्यवहारगत समायोजन का अध्ययन

निष्कर्ष :–

समूह की तुलना मे Internalizing और Externalizing समूह संज्ञानात्मक बचाच को अपनाते हैं। Externalizing समूहों की तुलना में समायोजित समूह व्यवहारगत बचाव का उपयोग करते हैं।

सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष :–

प्रस्तुत अध्याय में भारत में एवं विदेशों में हुए सम्बन्धित शोध कार्य का अध्ययन किया गया तथा यह प्रयास किया कि महत्वपूर्ण लघु अनुसंधान से सम्बन्धित क्षेत्र की गहराई तक पंहुच सके। सम्बन्धित साहित्य से अन्त–चक्षु वर्तमान शोधकार्य के तो खुलते ही है, साथ ही साथ कार्य से सम्बन्धित सूक्ष्म बाते स्पष्ट हो जाती हैं जिनके आधार पर अनुसंधान का कार्य सफलतापूर्वक किया जा सकता हैं।

सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन से शोध संदर्भ को विषय वस्तु उसकी दिशा तथा कार्य क्षेत्र से सम्बन्धित विचार करने सिद्धान्तों का विश्लेषण, स्पष्टीकरण, परिकल्पना निर्माण, उपकरण के

चयन एवं विवेचना हेतु सूचनाएं प्राप्त करने के लिए एक नवीन अर्न्तदृष्टि एवं सूझ उत्पन्न हो सकती हैं। इस प्रकार एक सर्वेक्षण से ज्ञानात्मक एवं सूचनात्मक का पर्याप्त रूप से विस्तार हुआ है शोध विषय में अनुसंधान के क्षेत्र में इसकी आधारभूत आवश्यकताओं तथा कार्य के क्षेत्र में इसकी आधारभूत आवश्यकताओं तथा कार्य प्रक्रियओं का पर्याप्त मार्गदर्शन प्राप्त हुआ हैं।

,

तृतीय अध्याय

3.1 प्रस्तावना :–

अनुसंधान एक दीर्घकालीन वैज्ञानिक छानबीन है जिसके अन्तर्गत सर्वप्रथम समस्या का चुनाव किया जाता है उसके अलावा समस्या के आधार पर उसे परिभाषित कर सीमांकित किया जाता है वैज्ञानिक आधार पर परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है उसके पश्चात् तथ्यों को एकत्रित कर वर्गीकरण के आधार पर विश्लेषण किया जाता है एंव अन्त में समाधान प्रस्तुत किया जाता है इसी आधार पर किसी भी अनुसंधान रूपी भवन की एक आधारभूत नींव की ईट है जिसकी अनुपस्थिति में कोई अनुसंधानकर्ता सुदृढ़ भवन का निर्माण करने में सफल नहीं हो सकता। अतः शोधकर्ता को ऐसे उपकरणों प्रविधियों व विधियों का चुनाव करना होता है जो कि अधिक वैज्ञानिक, विश्वसनीय व प्रमाणिक हो तभी वह अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता हैं।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में प्रयुक्त विधि, प्रविधि, उपकरण, न्यादर्श परिकल्पना एवं सांख्यिकीय गणना तकनीक आदि को प्रस्तुत आदि को प्रस्तुत करना ही इस अध्याय का उद्देश्य हैं।

3.2 अनुसंधान विधि का अर्थ व परिभाषाएँ :–

अनुसंधान अथवा शोध के तीन प्रमुख उद्देश्य बताये गये है सैद्धान्तिक, तथ्यात्मक, उपयोग। यह उद्देश्य अनुसंधान की विभिन्न विधियों व आव्यूह के प्रयोग करेन पर ही प्राप्त किये जाते हैं।

विधि शोध कार्य के सम्पादित करने का एक माध्यम है जो कि समस्या की प्रकृति के आधार पर तैयार की जाती हैं।

1. ब्राउडी के अनुसार :– ''विधि के अनुक्रम की नियमित संरचना को निर्देश करता है जो साधारणतयाः दिशा के द्वारा निर्दिष्ट होता है ''विधि'' के अन्तर्गत शिक्षण की आव्यूह एवं युक्तियां दोनो आते हैं।''

2. एम.वर्मा ने 'विधि' को व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया है पाठ्यवस्तु को निर्धारित करने मे विधि महत्वपूर्ण होती है इसलिये विधि के आधार पर पाठ्यपुस्तक को विभाजित किया हैं।

1. सैद्धान्तिक पाठ्यवस्तु : सर्वेक्षण, प्रयोगात्मक विधि
2. तथ्यात्मक पाठ्यवस्तु : ऐतिहासिक विधि
3. व्यावहारिक पाठ्यवस्तु : क्रियात्मक अनुसंधान

अनुसंधान विधियों के प्रकार :–

जार्ज. जे. मूले ने अनुसंधान विधियों को तीन मौलिक स्वरूपों में विभाजित किया हैं– सर्वेक्षण, ऐतिहासिक व प्रायोगिक विधियां इनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से है–

-

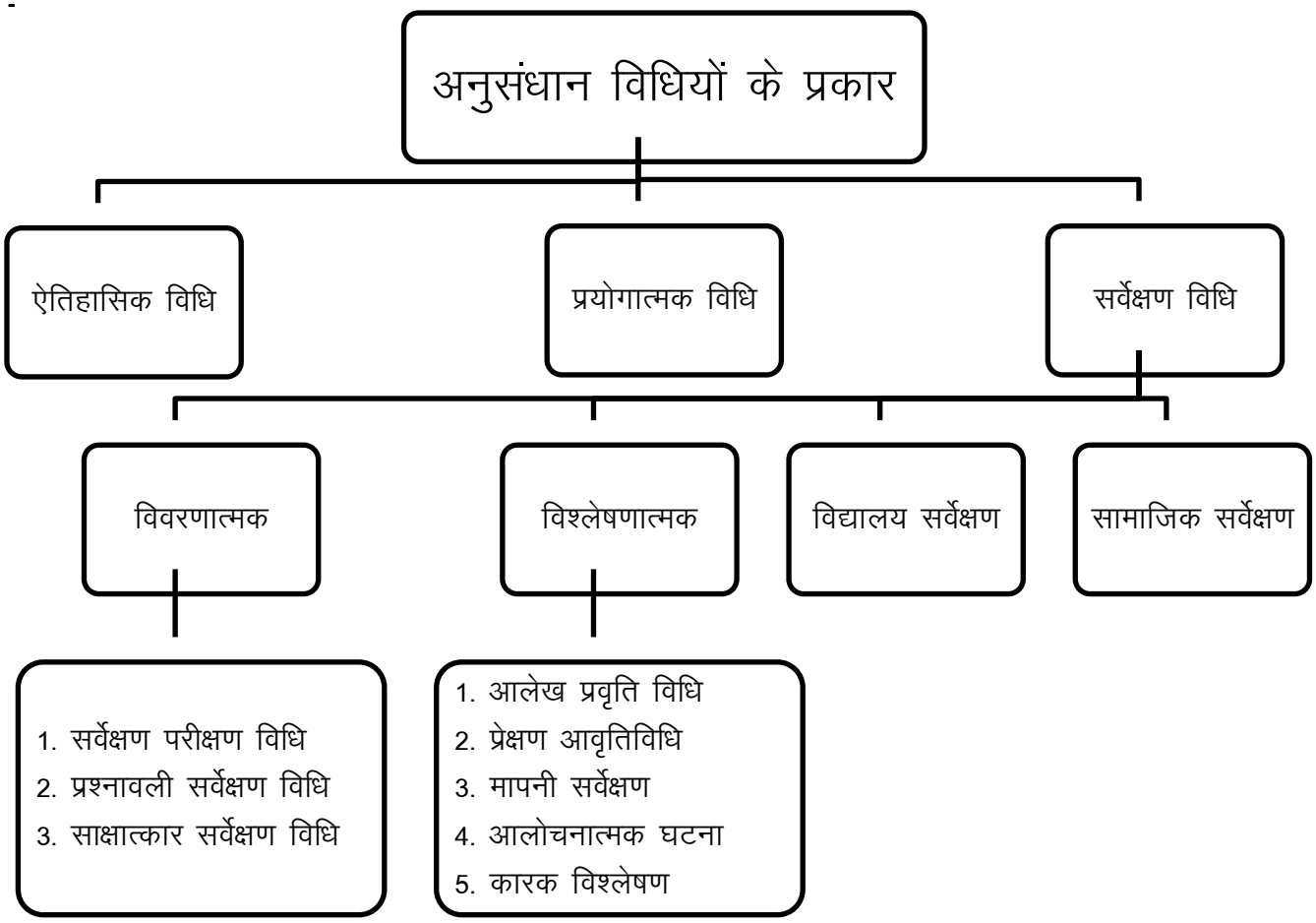

उपर्युक्त विवरण में शोध विधियों का वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया गया हैं। वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया गया है। वर्गीकरण में किसी आधार अथवा मानदण्ड का प्रयोग अवश्य किया जाता है। साधारण स्वरूप में इन विधियों को शोध के उद्देश्यों, घटनाओं, समय तथा शोध स्वरूप के आधार पर वर्गीकृत किया हैं।

इस शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग हुआ हैं।

3.3 शोध में प्रयुक्त विधि (सर्वेक्षण विधि) :–

समस्या का सावधानीनपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् तथा सम्बन्धित साहित्य का अवलोकन व अध्ययन के उद्देश्यों से प्रेरित होकर शोधार्थी ने सर्वेक्षण विधि को उपयुक्त माना हैं क्योंकि इस शोध समस्या के मुख्य उद्देश्य शोध की सर्वेक्षण विधि से सम्बन्धित हैं। सर्वेक्षण विधि उन वर्तमान तथ्यों का उद्घाटन करती है। जो समस्या में निहित हैं। इस विधि तथ्यों का निष्कर्ष निकालने एवं उनकी व्याख्या करने के लिए न केवल अपेक्षित प्रश्नों का ही उत्तर प्राप्त होता है। वरन् समस्या से सम्बन्धित तथ्यों की वर्तमान स्थिति भी स्पष्ट हो जाती हैं।

अर्थ एवं परिभाषा :–

अग्रेंजी भाषा के सर्वे शब्द का हिन्दी रूपान्तर सर्वेक्षण है इसको दो भागों में विभाजित किया जाता हैं। Sur or Sor अर्थात् तथा Ver or Veeir अर्थात् देखना सामान्य शब्दों में सर्वे का अर्थ है ऊपर से देखना। अर्थात् किसी घटना अथवा परिस्थितियों का ऊपरी निरीक्षण करना। अतः सर्वेक्षण का शब्दार्थ किसी दशा, स्थिति अथवा मूल्य के सम्बन्ध में जांच करना। सर्वेक्षण विधि को सामाजिक अनुसंधान की विधि माना जाता हैं। सामाजिक अनुसंधान से तात्पर्य समाज की वर्तमान समस्या के अध्ययन से हैं। सर्वेक्षण विधि से तीन प्रकार की सूचनाओं का संकलन किया जाता हैं।

1. क्या चीज विद्यमान है।
2. हम क्या चाहते हैं।
3. इच्छित उद्देश्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं।

अतः प्रस्तुत उद्देश्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। किसी प्राकृतिक घटना की वर्तमान दशाओं की यथार्थ जानकारी प्राप्त करने हेतु सर्वेक्षण विधि की ही प्रयोग किया जाता हैं।

ट्रेवर्स के अनुसार :– ''सर्वेक्षण विधि वर्तमान कार्यो की प्रकृति को सुनिश्चिय करने की विधि हैं।''

कलिंगर के अनुसार :–'' सर्वेक्षण अनुसंधान छोटी या बड़ी जनसंख्या प्रतिदर्श से लेकर समाजशास्त्रीय या मनोवैज्ञानिक चरों के अर्न्तसम्बन्धों से सम्बन्धित साक्ष्यों तथा विवरणों का अध्ययन करता हैं।''

मोर्स के अनुसार :–''सामाजिक सर्वेक्षण कुछ परिभाषित उद्देश्यों के लिए किसी विशेष सामाजिक परिस्थितियां या समस्या या जनसंख्या का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूप में विश्लेषण करने की केवल एक पद्धति हैं।

वेबस्टर शब्द कोष के अनुसार :–''वास्तविक जानकारी के लिए किया गया आलोचनात्मक निरीक्षण ही सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता हैं।

सर्वेक्षण विधि की विशेषताएँ :–

1. इसके द्वारा अधिक संख्या में तथ्यों को एकत्र किया जा सकता है।
2. इस विधि द्वारा व्यक्ति या वस्तु का सर्वेक्षण स्वतंत्र होकर किया जाता हैं।
3. यह विधि विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में स्थान के अध्ययन से सम्बन्धित हैं।
4. सर्वेक्षण विधि अन्य विधियों से सरल हैं।
5. इस विधि सम्बन्ध व्यक्तियों के विशेषताओं से न होकर पूर्ण जनसंख्या व उसके न्यादर्श के आधार पर एक सामान्या समूह से सम्बन्धित हैं।
6. यह विधि किसी व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित न होकर जन समूह से सम्बन्धित हैं।
7. इसमे किसी भी समुदाय के मूर्तजीवन का अध्ययन किया जाता हैं।
8. यह अधिकाशतः वर्तमान स्थिति का अध्ययन करती हैं।
9. यह विधि व्यक्ति के बाह्य एवं आन्तरिक जीवन का अध्ययन करने में सक्षम हैं।
10. इस विधि के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान सम्भव है। प्रत्यक्ष ज्ञान से जो निष्कर्ष निकलते है वे सत्य के निकट होते हैं।

सर्वेक्षण विधि की सीमाएँ :–

1. इस विधि के द्वारा समाज के किसी एक अंग का ही अवलोकन कर पाते है इससे समस्त सत्या को नहीं समझा जा सकता हैं।

2. इसके द्वारा समाज व्यापक अध्ययन सम्भव नहीं हैं।

3. सर्वेक्षण में यह सम्भव है कि हम किसी घटना के वास्तविक रूप के स्थान पर वह देखे कि हमारी बुद्धि क्या चाहती है। हमारी दृष्टि तथ्यों पर विशेष रूप से जाती है जो हमे प्रिय है जब हम ऐसी सूचना दूसरो से प्राप्त करते है तो गलत कि संभावना और ज्यादा बढ़ जाती हैं।

4. सर्वेक्षण प्रायः असम्भव एवं बिखरे होते है अतः इन्हं पूर्ण रूपेण संकलित कर सिद्धान्त का निर्माण नहीं किया जा सकता।

5. सर्वेक्षण मे घटना दृष्टि से गोचर होना आवश्यक है परन्तु यह आवश्यक नही कि घटना के समय अनुसंधानकर्ता वहां पर उपस्थित ही हो। क्योंकि अनेक घटनाएं जीवन से सम्बन्धित होती हैं। उन्हें कोई देख नहीं सकता।

6. यद्यपि सर्वेक्षण विधि मे अनेक त्रुटियां व कमियां है फिर भी अनुसंधान के क्षेत्र में इसका अपना अलग महत्व है। अनेक तत्कालीन समस्याओं पर उचित तथ्य इस विधि द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं।

3.4 परिकल्पना (Hypothesis)

परिकल्पना अनुसधान की प्रक्रिया का दूसरा प्रमुख स्तम्भ है इसका अर्थ यह है कि किसी समस्या के विश्लेषण और परिभाषीकरण के पश्चात् पूर्व चिन्तन कर लिया जाता है कि इस समस्या का क्या कारण हो सकता है परिकल्पना को निर्माण और उसके परीक्षण के बीच की क्रिया को ही अनुसंधान कहा जा सकता है। वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का नियोजन भी परिकल्पनाओं की पुष्टि के द्वारा ही होता हैं।

परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ :–

परिकल्पना शोध समस्या का सम्भावित समाधान होता है समस्या के समाधान तथा प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास परोक्ष रूप में होता है। परिकल्पना शब्द का अर्थ एक उपकथन से होता है जो समस्या के समाधान के लिये आवश्यक है। जब कभी किसी सम्भावित सिद्धान्त की प्रदत्तों तथा प्रमाणों के आधार पर पुष्टि की जाती है तब उसे परिकल्पना की संज्ञा दी जाती हैं।

परिकल्पना को अग्रेंजी में कहा जाता है Hypothesis – Hypo (हाइपो) + Thesis (थीसिस) परिकल्पना – जिसकी पुष्टि की जाये समस्या कथन इस प्रकार परिकल्पना का अर्थ हुआ सम्भावित कथन जो समस्या प्रस्तुत करता है। इस प्रकार परिकल्पना किसी शोध कार्य के लिये दिशा तथा आधार प्रदान करती हैं।

1. जेम्स ई.ग्रीटन के मतानुसार :– ''परिकल्पना सम्भावित माना हुआ समस्या का हल होता है जिसकी व्याख्या उस परिस्थिति से निरीक्षण के आधार पर की जा सकती हैं।

2. कर लिंगर के अनुसार :– ''परिकल्पना दो या अधिक राशियों अथवा चरों के सम्बन्धों का कथन हैं।''

3 जार्ज जे.मूले के अनुसार :– ''परिकल्पना एक अवधारणा या साध्य होती है जिसकी पुष्टि प्रदत्तों या प्रयोगात्मक निरीक्षणों के आधार पर की जाती है तथा पूर्व ज्ञान के आधार पर उसकी औचित्य प्रकट किया जाता हैं।

4. टाउनसेण्ड के अनुसार :– परिकल्पना अनुसंधान की समस्या के लिए सुझाया गया स्तर हैं।

जार्ज जे.मूले के अनुसार परिकल्पना के उद्देश्य :–

1. परिकल्पना शोध कर्या को एक निश्चिय दिशा प्रदान करती है एवं उपयोगी प्रदत्तों के संकलन में सहायक होती हैं।
2. परिकल्पना के माध्यम से शोध का स्वरूप स्पष्ट किया जाता है।
3. परिकल्पना से शोध के निष्कर्षो के प्रतिपादन में सहायता मिलती हैं।
4. परिकल्पना से शोध में प्रयुक्त चरों का बोध होता हैं।

5. परिकल्पना से शोधकर्ता अनावश्यक प्रदत्तों के संकलन से बच जाता हैं।

परिकल्पना का महत्व :–

1. परिकल्पना समस्या तथा समाधान की मध्यस्थता करती है एवं समस्या का सम्भावित समाधान होती हैं।

2. परिकल्पना शोध कार्य की रूपरेखा प्रस्तुत करती हैं।

3. परिकल्पना का निर्माण सत्यापन शोध कार्य को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करता हैं।

4. परिकल्पना प्रदत्तों के संकलन के लिये उपर्युक्त विधि व प्रविधि तथा उपकरण का चुनाव करती हैं।

5. परिकल्पना तथ्यों की सार्थकता निर्धारित करती हैं।

6. परिकल्पना निष्कर्षो के लिये आधार प्रदान करती हैं।

7. परिकल्पना शोध कार्य की तार्किक अवस्था होती हैं।

परिकल्पना के प्रकार :–

सामान्य अध्ययनों मे उपयोग में लाई जाने वाली परिकल्पनाएं दो प्रकार की होती हैं।

1.अप्रायोगिक परिकल्पना

- साधारण स्तर परिकल्पना
- विषम स्तर परिकल्पना
- विशिष्ट स्तर परिकल्पना

2.प्रायोगिक परिकल्पना

↓

जांच विधि के आधार पर

↓

- सार्वभौमिक परिकल्पनाएं
- अस्तित्व परक परिकल्पना

कथन के आधार पर प्रायोगिक परिकल्पनाएं तीन प्रकार की होती है–

1. धनात्मक परिकल्पना
2. ऋणात्मक परिकल्पना
3. शून्य परिकल्पना

1. धनात्मक परिकल्पना :–

यह परिकल्पना दो या दो से अधिक समूहों के अन्तर में सम्बन्ध में होती हैं। इस प्रकार की परिकल्पना मे कथन का रूप घनात्मक होता हैं।

2. ऋणात्मक परिकल्पना :–

यह परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के आधार पर सम्बन्ध में होती है इस प्रकार की परिकल्पना में कथन का स्वरूप ऋणात्मक होता हैं।

3. शून्य परिकल्पना :–

शून्य परिकल्पना है जो यह बताती है कि दो समूहों या दो चरों का आपसी अन्तर शून्य है अर्थात् दो चरो ंया दो समूहों में कोई सार्थक अन्तर नहीं हैं।

प्रस्तुत शोध की परिकल्पनाएं :–

1. माध्यमिक स्तर के अनुसूचित जाति व जनजाति के शहरी व ग्रामीण के विद्यार्थियों के समायोजन मे सार्थक अन्तर नही पाया जाता हैं।
2. शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों के समायोजन मे सार्थक अन्तर नही पाया जाता हैं।
3. ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों के समायोजन मे सार्थक अन्तर नही पाया जाता हैं।
4. शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं के समायोजन मे सार्थक अन्तर नही पाया जाता हैं।
5. शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं के समायोजन मे सार्थक अन्तर नही पाया जाता हैं।
6. ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के समायोजन मे सार्थक अन्तर नही पाया जाता हैं।
7. ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के समायोजन मे सार्थक अन्तर नही पाया जाता हैं।

3.5 प्रस्तुत शोध के चर (Variables) :-

अनुसंधान कार्य में चरो का अत्यधिक महत्व है चरों की प्रकृति गुणात्मक न होकर परिमाणात्मक होती है। परिकल्पनाएं चरों की भूमिकाओं का निर्धारण करती हैं। शोध के अनुसार चरों की भूमिकाएँ बदलती हैं। परिकल्पना के माध्यम से चर को व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत किया जाता हैं।

करलिंगर के अनुसार :–''चर वह गुण है। जिसके विभिन्न मूल्य हो सकते हैं।''

गैरेट के अनुसार :– ''चर वह लक्षण या गुण है जिसकी मात्रा मे परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन किसी आयाम पर होता हैं।''

शोधकर्ता द्वारा सर्वप्रथम स्वतंत्र तथा आश्रित चर का निर्धारण किया जाता है वह परिकल्पना का प्रतिपादन कर सकता है। स्वतंत्र व आश्रित चर के अतिरिक्त शोध समस्या के आधार पर परिमित, मध्यस्थ व नियन्त्रित चर भी निर्धारित किये जाते हैं।

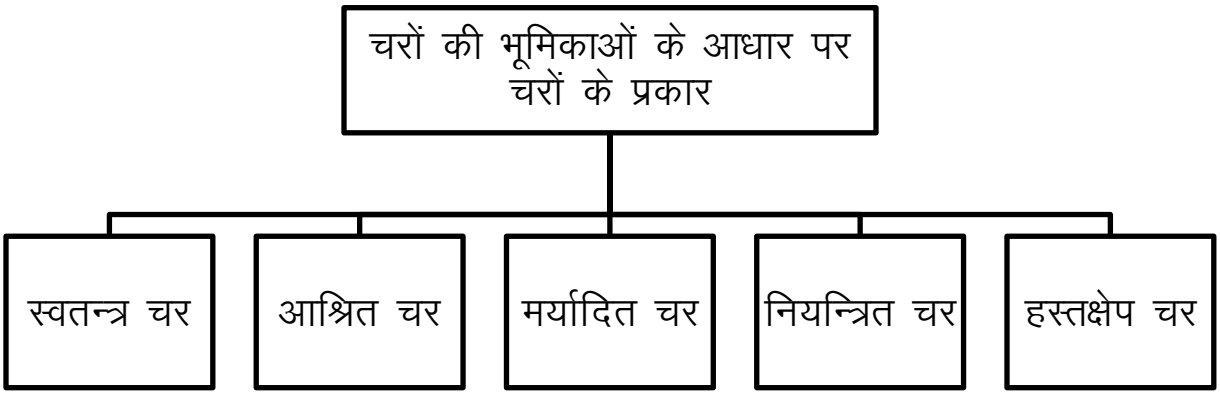

1. स्वतंत्र चर (Independent Variable) :–

स्वतंत्र चर वह होता है जो परिवेश मे क्रियाशील होता है और व्यवहार को प्रभावित करता है। यह वह कारक होता है जिसका मापन प्रयोग द्वारा एवं उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। आश्रित चर से इसका सम्बन्ध भी स्थापित किया जाता हैं।

2. आश्रित चर (Dependent Variable) :–

स्वतंत्र चर का प्रभाव जिसके आधार पर प्राप्त किया जाता है उसे आश्रित चर कहते है। आश्रित चर, स्वतंत्र चर पर आधारित होता हैं। यह किसी परिस्थिति के परिवर्तन के परिणाम को प्रदर्शित करता हैं।

3. मर्यादित चर (Moderator Variable) :–

मर्यादित चर को परिमित चर भी कहते है। इस चर के माध्यम से स्वतंत्र चर व आश्रित चर मे सह–सम्बन्ध किया जाता है। इस चर से शोध कार्य को परिमित स्वरूप प्रदान किया जाता है व सामान्यीकरण का क्षेत्र अधिक व्यापक हो जाता है। जैसे–ग्रामीण, शहरी, बालक, बालिकाएं आदि।

4. नियन्त्रित चर (Controlled Variable) :–

प्रयोगात्मक चर की प्रभावशीलता का अध्ययन नियन्त्रित चर के संदर्भ में किया जाता है। प्रभावशीलता सापेक्षित होती है अतः प्रभावशीलता के लियें जिस चर का अध्ययन किया जाता है उसे नियन्त्रित चर कहते हैं।

5. हस्तक्षेप चर (Interviewing Variable) :–

इसे मध्यस्थ चर भी कहा जाता है इसका स्वरूप अमूर्त होता है। आश्रित चर व मानदण्ड चर पर प्रभाव की मध्यस्थता का अध्ययन करते हैं। छात्रों के अधिगम में उनका पूर्वज्ञान महत्वपूर्ण

प्रभाव डालता है परन्तु इसका प्रत्यक्षीकरण सम्भव नहीं होता है। इसी प्रकार हस्तक्षेप चर, अभिवृति, पूर्व ज्ञान, स्वभाव आदि का अध्ययन करता हैं।

3.6 शोध में प्रयुक्त न्यादर्श :–

अनुसंधान कार्य में न्यादर्श का विशेष महत्व होता है। शोधकर्ता समय, साधन की कमी के कारण प्रतिदर्शन से समंकों तथा प्रदत्तों का संकलन कर उसका विश्लेषण कर विवेचन करता है। सामान्यीकरण पर पंहुचता है। अनुसंधान का आधार पर है। न्यादर्श के आधार पर कुछ या अंश को देखकर या उसकी परीक्षा करके सब या सम्पूर्ण या समय का अनुमान लगाया जाता हैं। न्यादर्श की मान्यता यह है कि कुछ अंश की विशेषताएं सब या समग्र की विशेषताओं की वैद्यता या विश्वनीयता के साथ अध्ययन किया जा सकता है यहा सब या समग्र के आशय अध्ययन की समग्र इकाई अर्थात् जनसंख्या से है। जनसंख्या से तात्पर्य अनुसंधान क्षेत्र की सभी इकाइयों के समुदाय से है सिजमे कुछ समान विशेषताएं अंश को ही प्रतिदर्शन या न्यादर्श कहते हैं।

परिभाषाएँ :–

युंग के अनुसार :–''एक न्यादर्श अपने समस्त समूह का एक लघु चित्र होता हैं।''

गुडे व हैट के अनुसार :–''एक न्यादर्श जैसा कि नाम से स्पष्ट है किसी विशाल समूह का छोटा प्रतिनिधि है।''

बाकर हेलिन के अनुसार :–''समग्र के सम्बन्ध मे सूचनाएँ प्राप्त करने के उद्देश्य से उसमे चयनित समूह न्यादर्श कहलाता हैं।''

बोगार्डस के अनुसार :–''पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार एक समूह में से निश्चित प्रतिशत की इकाइयों का चयन करना ही प्रतिदर्शन हैं।''

करलिंगर के अनुसार :–''प्रतिदर्शन समग्र जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले अंशों का चयन हैं।''

न्यादर्श की आवश्यकता :–

1. न्यादर्श की सहायता से सम्पूर्ण जनसंख्या का अध्ययन करने में समय की बचत होती हैं।
2. इसमें जनसंख्या पर शोध करेन मे कम समय व्यय होता है तथा धन की बचत भी होती हैं।
3. न्यादर्श से प्राप्त आंकड़ों से जनसंख्या से सम्बन्धित समस्या क विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती हैं।
4. न्यादर्श से परीक्षण की अधिक सत्यता का ज्ञान होता हैं।
5. न्यादर्श पर परीक्षण का प्रशासन करना सरला होता हैं।
6. सम्पूर्ण जनसंख्या का अध्ययन असम्भव होता है तब न्यादर्श से अध्ययन सम्भव होता जाता हैं।

न्यादर्श की विशेषताएँ :–

1. शोध कार्य उतना ही वास्तविक होगा जितना हमारा न्यादर्श अच्छा होगा। न्यादर्श के सही होने पर ही अध्ययन की सफलता सम्भव हैं।
2. न्यादर्श प्रतिनिधित्वपूर्ण होना चाहिए।
3. न्यादर्श का आकार पर्याप्त होना चाहिए, न बहुत छोटा हो न बहुत बड़ा होना चाहिए।
4. न्यादर्श पक्षपात तथा मिथ्या सुझाव से मुक्त हो।
5. न्यादर्श अध्ययन विषयों के उद्देश्यों के अनुकुल हो।
6. न्यादर्श सामान्य ज्ञान व तर्क पर आधारित होना चाहिए तथा वह व्यावहारिक अनुभवों पर भी आधारित होना चाहिए।

न्यादर्श की सीमाएँ :–

1. न्यादर्श में पक्षपात की सम्भावना रहती हैं।
2. प्रतिनिधि का चयन करना न्यादर्श की समस्या होती हैं।
3. न्यादर्श मे योग्य कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती हैं।
4. न्यादर्श मे इकाईयों की अस्थिरता रहती हैं।
5. न्यादर्श में चयन की आवश्यकता भी रहती हैं।

न्यादर्श की विधियां :–

न्यादर्श के आधार पर अध्ययन से न्यादर्श की इकाईयों का अध्ययन ही लक्ष्य न रहकर पूर्ण जनसंख्या की जानकारी को इंगित करने में सहायक सिद्ध होता है। अतः इसमे पूर्ण सावधानियों तथा सतर्कता तथा सतर्कता का ध्यान रखना जरूरी होता हैं। न्यादर्श प्राप्त करने की प्रमुख विधियाँ निम्न हैं–

1. यादृच्छिक न्यादर्श
2. प्रांसगिक न्यादर्श
3. सप्रयोजन या सौद्देश्य न्यादर्श

1. यादृच्छिक न्यादर्श :–

सम्पूर्ण समूह की इकाई को समान रूप से चुने जाने का अवसर देना ही इस पद्धति का उद्देश्य हैं। समग्र के सभी अंकों के चुने जाने की समान संभावना रहती है। क्योंकि इसमें सबकों समान महत्व का माना जाता हैं।

यादृच्छिक विधि दो प्रकार की होती है–

1. अंक विधि
2. लॉटरी विधि

पोर्टन के अनुसार :–"यादृच्छिक न्यादर्श पद्धति चुनाव की उस पद्धति को कहते है जब समग्र मे से प्रत्येक व्यक्ति के चुने जाने के समान अवसर हो चुनाव संदेश योग से हुआ माना जाता हैं।

न्यादर्श के सिद्धान्तो में यादृच्छिकता की आवश्यकता होती है। ये निम्न विधियों द्वारा होता है–

1. अप्रतिबन्धित यादृच्छिक
2. प्रतिबन्धित यादृच्छिक

2. प्रांसगिक न्यादर्श :–

इस विधि को आकस्मिक न्यादर्श भी कहते है। जो कि सरल से प्राप्त होते है। जैसे विद्यालय, अनाथालय आदि। ऐसे समूह किसी जनसंख्या के अच्छे न्यादर्श कहे जाते हैं।

3. सप्रयोजन या सौद्देश्य न्यादर्श :–

यह प्रासंगिक न्यादर्श से भिन्न होता है। इसमें विशिष्ट समूह का अध्ययन किया जाता है। यह पूर्ण जनसंख्या को विभिन्न करने वाला समझा जाता है। इस विधि के न्यादर्श का चयन अवसर के आधार पर न होकर इच्छा या उद्देश्य पर निर्भर करता है।

प्रस्तुत अध्ययन की न्यादर्श विधि :– प्रस्तुत लघुशोध कार्य के लिए शोधकर्त्री द्वारा यादृच्छिक विधि का चयन किया जाता है। क्योंकि इस विधि द्वारा न्यादर्श में से प्रत्येक के चुने जाने की संभावना रहती है इसमें न तो समष्टि को स्तर से बांटा जाता है, न की शोधकर्त्री की सुविधा का ध्यान रखा जाता है। इसलिए न्यादर्श चयन के लिए यादृच्छिक विधि का चयन किया गया हैं।

प्रस्तुत अध्ययन का न्यादर्श :–

शोध में प्रयुक्त न्यादर्श

प्रस्तुत शोध जयपुर जिले के अन्तर्गत प्रशासित किया गया है यह शोध ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में किया गया है इसमें अध्ययनरत छात्र और छात्राओं का अध्ययन किया गया। इस प्रकार न्यादर्श के रूप में 80 छात्रों को लिया गया। जिनमें से 40 छात्रों को ग्रामीण तथा 40 छात्रों को शहर से लिया गया हैं।

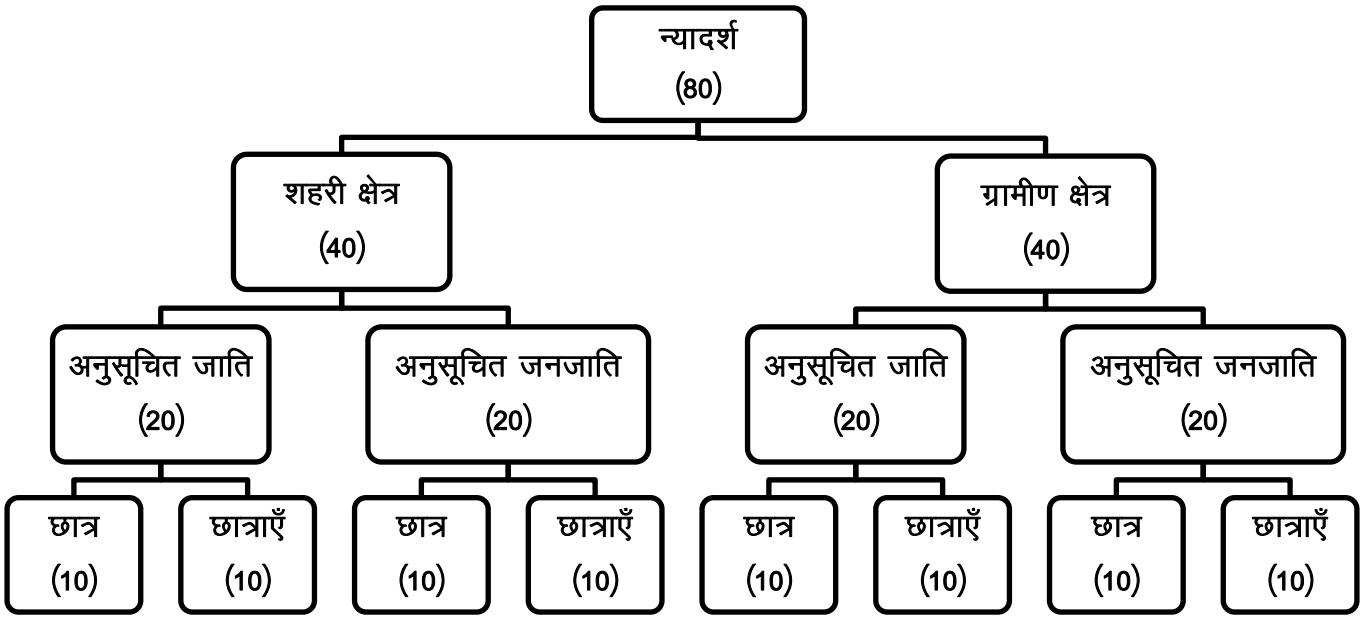
न्यादर्श
(80)
शहरी क्षेत्र
(40)
ग्रामीण क्षेत्र
(40)
अनुसूचित जाति
(20)
अनुसूचित जनजाति
(20)
अनुसूचित जाति
(20)
अनुसूचित जनजाति
(20)
छात्र
(10)
छात्राएँ
(10)
छात्र
(10)
छात्राएँ
(10)
छात्र
(10)
छात्राएँ
(10)
छात्र
(10)
छात्राएँ
(10)

न्यादर्श हेतु चयनित शहरी विद्यालय के विद्यार्थियों की कुल जनसंख्या				
	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
विद्यालय का नाम	**छात्र**	**छात्रा**	**छात्र**	**छात्रा**
राजकीय दरबार उच्च माध्यमिक विद्यालय सांभर लेक (जयपुर)	5	5	5	5
आशा बाल भारती उच्च माध्यमिक विद्यालय (फुलेरा–जयपुर)	5	5	5	5
कुल योग	10	10	10	10

न्यादर्श हेतु चयनित ग्रामीण विद्यालय के विद्यार्थियों की कुल जनसंख्या				
	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
विद्यालय का नाम	**छात्र**	**छात्रा**	**छात्र**	**छात्रा**
राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय मण्डोर	5	5	5	5
न्यू राज पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय अनोपपुरा	5	5	5	5
कुल योग	10	10	10	10

3.7 शोध में प्रयुक्त उपकरण :–

प्रत्येक प्रकार के अनुसंधान कार्य में दत्तों सकंलन हेतु बहुत से साधनों की आवश्यकता होती है। इन्ही साधनो को उपकरण कहते है उपकरण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए मल्होत्रा ने लिख है कि –

किसी समस्या के अध्ययन हेतु नवीन एवं अज्ञात दत्त संकलन के लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता हैं।

प्रत्येक प्रकार के अनुसधंान के लिए नवीन दत्त संकलित करने हेतु कई यंत्रों की आवश्यकता होती है इन्ही यंत्रों को उपकरण कहते हैं।

सही दत्तों का संकलन व अनुसंधान की सफलता उपयुक्त उपकरण पर ही निर्भर करती है। इसी कारण उपकरण की वैद्यता व विश्वसनीयता महत्वपूर्ण हैं। अनुसंधान की विविधता के अनुसार उपकरणों की विविधता एवं विभिन्नता हो सकती है। क्योंकि प्रत्येक शोध के लिए स्थित भिन्न–भिन्न प्रकार के सूचनाएं एकत्रित करने में अलग–अलग प्रकार के उपकरणों को प्रयोग में लाये जाते हैं

अनुसंधान मे उपकरणों के प्रकार :–

साधारणतः उपकरण दो प्रकार के होते है–

1. मानवीकृत उपकरण
2. स्वनिर्मित उपकरण

1. मानवीकृत उपकरण :–

ये वे मनोवैज्ञानिक उपकण होते है जिनका निर्माण मानवीय व्यवहारों के कतिपय पक्षों अथवा आन्तरिक गुणों का मापन करने के लिए किया जाता है। ये पूर्व विश्वसनीय एवं वैध होते हैं।

2. स्वनिर्मित उपकरण :– अमानवीयकृत उपकरण वे उपकरण होते है जो शोधकर्ता द्वारा समस्या के अनुसार स्वयं ही निर्मित करता है। इन उपकरणों के निर्माण के बाद वह उनकी विश्वनीयता, वैद्यता ज्ञात करता हैं। तत्पश्चात् उन्हें प्रयोग में लाता हैं।

प्रस्तुत शोध में प्रयुक्त उपकरण :–

प्रस्तुत शोध अध्ययन में मानसिक स्तर के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के मध्य समायोजन का सर्वेक्षणात्क अध्ययन करने के लिए शोधार्थी ने मानकीकृत उपकरण मापनी का प्रयोग किया गया हैं।

उपकरण का विवरण एवं प्रशासन

उपकरण का चयन :–

जिस प्रकार एक मैकेनिक एक इंजिन या मशीन को ठीक करने के लिए अपने यंत्र बॉक्स मे से एक उपयुक्त यंत्र की खोज करनी होती है, ठीक वैसे ही वैज्ञानिक अनुसंधान के अन्तर्गत एक समस्या के अध्ययन के लिए एक अनुसंधानकर्ता के एक ऐसे वैज्ञानिक उपकरण अथवा वैज्ञानिक प्रक्रिया का चयन करना पड़ता हैं। जिसके आधार पर निम्नलिखित मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकें।

1. इससे अध्ययन समस्या का समुचित उत्तर उपलब्ध होना चाहिए।
2. इससे विश्वनीय परिणाम उपलब्ध होने चाहिए।
3. उसके द्वारा प्राप्त परिणाम वैद्य होना चाहिए।
4. इसके द्वारा वस्तुपरक परिणाम उपलब्ध होने चाहिए।

प्रस्तुत शोध प्रबंध में शोधार्थी द्वारा विद्यार्थियों के समायोजन का सर्वेक्षणात्मक अध्यन करने के लिए **डॉ श्रीमति ललिता शर्मा** द्वारा निर्मित समायोजन मापनी उपकरण का प्रयोग किया गया हैं।

उपकरण का विवरण :–

इस परिक्षण में विद्यार्थियों के समायोजन पर अध्ययन किया गया है उत्तरसूची में आपकों प्रत्येक प्रश्न की संख्या के सामने दो खाने मिलेगे, आपकी और से बांयी तरफ वाला खाना हां उत्तर का दायी तरफ वाला खाना नहीं उत्तर का संकेत सूचक है इन दोनों में से आपके लिए

उपयुक्त होता है उस पर सही का चिन्ह लगाना है कोई भी प्रश्न गलत या सही नही है जो आपके सम्बन्ध में सही है केवल उसी पर सही का चिन्ह लगाना हैं।

उदाहरण–	हाँ	नहीं
1. क्या आपका वजन उम्र के अनुसार कम है?	( )	( )
2. क्या आप अपने छोटे या बड़े भाई –बहनों को प्यार करते हैं?	( )	( )

3.8 शोध में प्रयुक्त सांख्यिकी –

सांख्यिकी शब्द अग्रेंजी में भाषा के Statistics का हिन्दी रूपान्तर हैं। Statistics शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के (Status) स्टेटस शब्द से हुई हैं। इस शब्द का प्रयोग प्राचीन समय मे राज्य के प्रमुख कार्यो के सन्दर्भ में प्रयुक्त किया जाता था। आंकड़ों से तात्पर्य विभिन्न सूचनाओं व तथ्यों से होता है जो किसी प्रयोग या सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त होते है। सांख्यिकी के आधार पर प्राप्त होते है सांख्यिकी से आशय उस विज्ञान से है जो आंकड़ों के संकलन, विश्लेषण व्यवस्थापन के निष्कर्षो से सम्बन्ध रखता हैं।

फर्ग्युसन ने लिख है कि –''सांख्यिकी का सम्बन्ध सर्वेक्षणों द्वारा प्राप्त आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण एवं व्याख्या से है'', शैक्षिक सांख्यिकी का सामान्य अर्थ है–शिक्षा सम्बन्धी तथ्यों (आंकड़ों) का वर्गीकरण, सारणीय एवं अध्ययन।

डब्ल्यू जी.सत्किलक के अनुसार –''सांख्यिकी पूर्व निश्चिय उद्देश्य से सम्बन्धित निष्पक्ष और विधिवत् ढंग से जुटायें तथ्यों प्रदत्तों का एकत्रीकरण, सारणीयन, प्रस्तुतीकरण और विश्लेषण करना हैं।''

शोध में सांख्यिकी की आवश्कता या महत्व :–

1. वस्तुस्थिति की जानकारी होती है जिससे भविष्य का अनुमान लगाय जाता हैं।
2. सांख्यिकी मूल्याकंन करने के लिए आवश्यक हैं।
3. भविष्यवाणी करने एवं योजना बनाने में आवश्यक हैं।
4. अनुसंधान कार्यो हेतु सांख्यिकी आवश्यक हैं।

5. व्यक्तियों/छात्र–छात्राओं की तुलन करने में आवश्यक हैं।

6. सांख्यिकी हमारे परिणामों का सार्थक और सरल रूप में सारगर्भित करने में सहायक हैं।

7. सांख्यिकी हमें कुछ उलझे हुए और जटिल प्रत्ययों के कारण घटकों के विश्लेषण को उपयुक्त बनाती हैं।

8. तथ्यों का विश्लेषणात्मक निष्कर्ष निरूपण करने की।

सांख्यिकी की विशेषताएँ :–

1. उद्देश्य सहित परिक्षण के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्रित करना।

2. समस्या से सम्बन्धित आंकड़ों को व्यवस्थित कर उनका वगीकृत करते हुए उन्हें सारणी में जमाना।

3. वगीकृत एवं सारणीकृत आंकड़ों का विश्लेषण व व्याख्या करना।

4. प्राप्त आंकड़ों के बीच समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए उनके बीच सहसम्बन्ध स्थापित करना, आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

5. पुराने नियमों में आवश्यकतानुसार सुधार अथवा परिवर्तन नये नियमों का निर्माण करना।

अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी :–

अनुसंधान एवं शोधकार्य में सांख्यिकी विधियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रस्तुत शोध में प्राप्त तथ्यों की संख्या को वैज्ञानिक विधि से विश्लेषण कर प्राप्त किये निष्कर्ष, विश्वनीय, अर्थपूर्ण एवं प्रमाणित होते हैं।

प्रस्तुत शोध मे शोधकर्त्री ने प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकी के अन्तर्गत मध्यमान, प्रमाणिक विचलन, टी–मान आदि सांख्यिकी प्रविधियों का उपयोग किया हैं।

1. मध्यमान (M)

तीनों ही औसत अथवा केन्द्रीय प्रवृतियों में मध्यमान सबसे अधिक उपयोगी व प्रयोग में आने वाला औसत हैं। इस केन्द्रीय प्रवृति को इतने व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता हैं कि इससे सामान्यतः केवल औसत के नाम से पुकारा जाता हैं।

मध्यक आवृति वितरण का आवृति मानक वह बिन्दु है जो आवृति के योग में आवृतियों की संख्या का भाग देने पर प्राप्त भागफल के बराबर होता है।

मध्यमान (M) = $\frac{\Sigma x}{N}$

M = मध्यमान

$\sum x$ = संख्याओं का योग

N = कुल संस्थाएं

2. प्रमाणिक विचलन (Standard Deviation)

प्रमाणिक विचलन वह माप है जो मध्यमान से प्राप्तांकों का छितराव ज्ञात करता है। इसमें मध्यमान से प्राप्त प्रत्येक पद का विचलन ज्ञात किया जाता है। उनके वर्ग किये जाते है। आवृतियों के योग का भाग दिया जाता है।

प्रमाणिक विचलन SD $= \sqrt{\frac{\Sigma d^2}{N}}$

यदि मध्यमान का मान दशमलव मे प्राप्त होता है तब ऐसी स्थिति में प्रमाणिक विचलन की गणना निम्नलिखित सूत्र से भी ज्ञात करते है।

$$SD = \sqrt{\frac{\Sigma d^2}{N} - C^2}$$

3. 'टी मान परीक्षण' –

इस प्रयोग तीन परिस्थितियों में किया जाता है जहां पर दो स्वतंत्र समूह भिन्न–भिन्न न्यादर्श से लिये जाये तथा किसी आधार पर उसकी तुलना जानने के लिए जाये की उनमें क्या भिन्नता है।

t मूल्य = $\frac{M_1 - M_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1{}^2}{N_1} + \frac{\sigma_2{}^2}{N_2}}}$

T	=	टी मूल्य
M_1	=	पहले समूह का मध्यमान
M_2	=	द्वितीय समूह का मध्यमान
$\sigma 1^2$	=	पहले समूह का प्रमाणिक विचलन
$\sigma 1^2$	=	दूसरे समूह का प्रमाणिक विचलन
N_1	=	पहले समूह की न्यादर्श की संख्या
N_2	=	द्वितीय समूह की न्यादर्श की संख्या

अध्याय चतुर्थ

तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण

4.1 प्रस्तावना

प्रस्तुत अध्याय में शोधकर्त्री द्वारा एकत्रित किए गए प्रदतों का वर्गीकरण, विश्लेषण व व्याख्यात्मक स्परूप दिया गया है। विभिन्न उपकरणों की सहायता से प्राप्त प्रदतों में से कोई निष्कर्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उनके आधार पर कोई विश्लेषण ने किया जाए। प्रदतों के वर्गीकरण व विश्लेषण के लिए सारणीयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिनके अन्तर्गत प्राप्त आंकड़ो को क्रमबंद्ध बोधगम्य व सरल रूप में प्रस्तुत किया जात हैं

4.2 सारणीयन का अर्थ व परिभाषाएं

किसी भी शोध कार्य में सकंलित तथ्यों को वैज्ञानिक ढ़ंग से एक सारणी के अन्तर्गत प्रदर्शित करना ही सारणीयन कहलाता है। सारणीयन के द्वारा अंको से यथोचित निष्कर्ष निकाले जा सकते है। यहां तक कि इसके द्वारा गुणात्मक रूप से प्रस्तुत करने की एक प्रणाली है, यह सकंलित तथ्यों को बोधगम्य व व्यवस्थित बनाती है।

एल्हंस क अनुसार

विस्तृत अर्थ में सारणीयन तथ्यों के स्तम्भों तथा पंक्तियों को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करता है।

नीस्वेगर के अनुसार

अपनी पुस्तक ''ऐलीमेण्ट्री स्टेटिस्टिकल मैथड'' में कहा है।

''साख्यिकीय सारणी स्तम्भों तथा कतारों में आंकड़ों का क्रमबद्ध संगठन है।

इस प्रकार उपर्युक्त परिभाषाओं क आधार पर निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि वर्गीकृत आंकड़ों के संक्षिप्तीकरण के लिए उनको सारणी के रूप में प्रस्तुत करना ही सारणीयन है।

सारणीयन के उद्देश्य

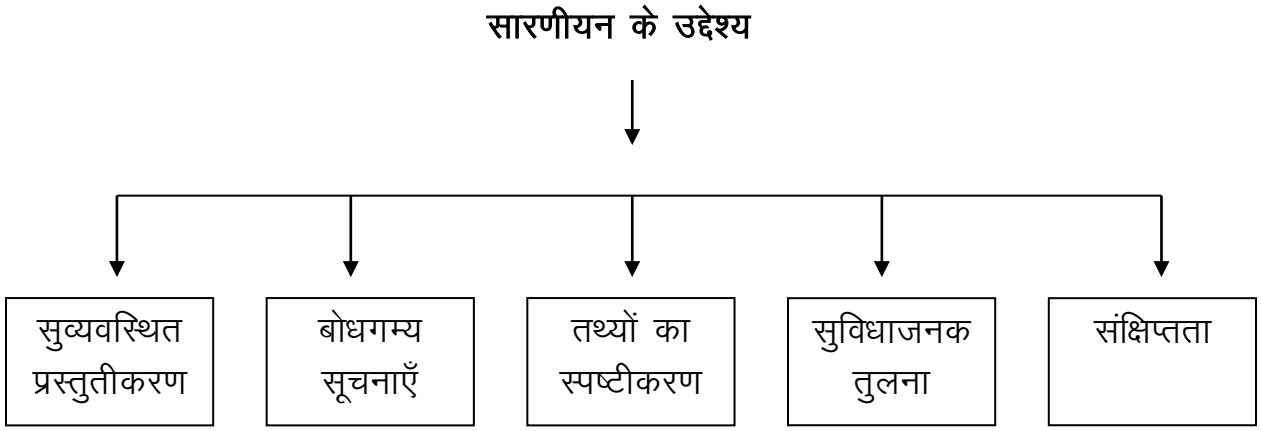

सारणीणन के लाभ :

सारणीयन के लाभ अथवा गुण है :–

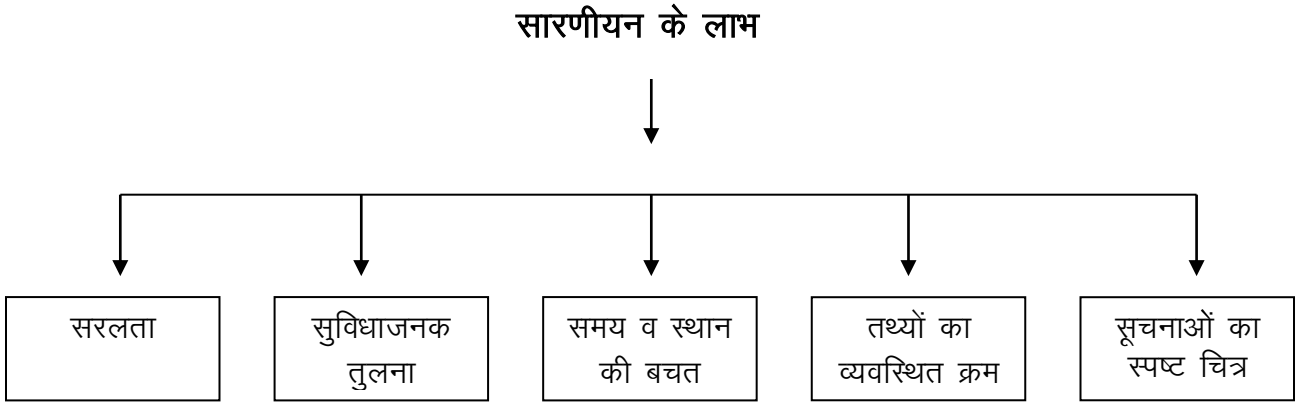

सारणीयन की सीमाएँ

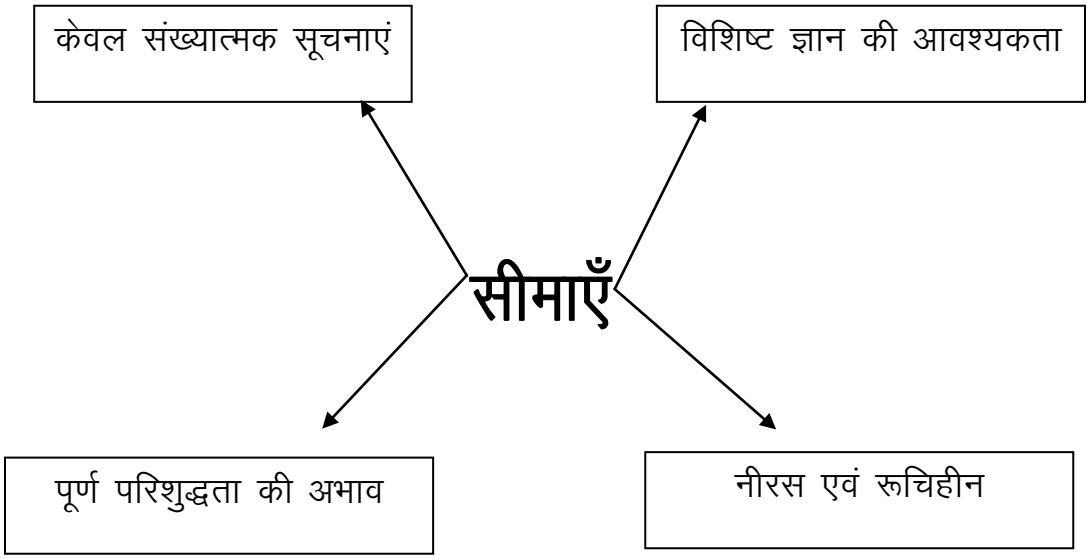
केवल संख्यात्मक सूचनाएं
विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता
सीमाएँ
पूर्ण परिशुद्धता की अभाव
नीरस एवं रूचिहीन

4.3 तथ्यों का प्रस्तुतीकरण, सारणीयन एवं विश्लेषण

परिकल्पना 1

माध्यमिक स्तर के अनुसूचित जाति व जनजाति के शहरी व ग्रामीण के विद्यार्थियों के समायोजन में सार्थक अन्तर नही पाया जाता है।

क्र. स.	अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थी	संख्या N	Mean	S.D	t	स्वीकृत / अस्वीकृत
1	शहरी विद्यार्थी	40	39.42	8.35	0.5245	स्वीकृत
2	ग्रामीण विद्यार्थी	40	38.35	9.88		

df = (N_1+N_2-2) = (40+40 – 2) =78

Df 78 के लिए t का अपेक्षित मान

0.05 स्तर पर 1.99

0.01 स्तर पर 2.64

आरेख 4.1

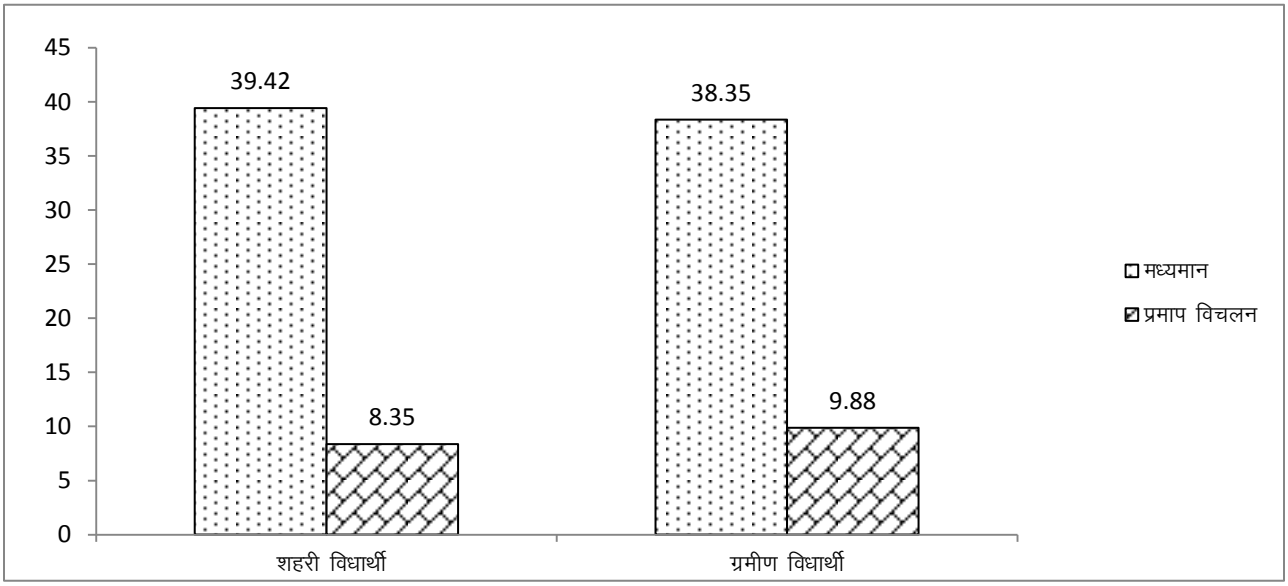

विश्लेषण –

तालिका 4.1 का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि माध्यमिक स्तर के अनुसूचित व अनु. जनजाति के शहरी व ग्रामीण के विद्यार्थियों के समायोजन का मध्यमान क्रमशः 39.42 एवं 38. 35 प्रमाप विचलन 8.35 एवं 9.88 तथा t का मान 0.5245 हुआ है।

df 78 के लिए t का अपेक्षित मान 0.05 स्तर पर 1.99 तथा 0.01 पर 2.64 है। जबकि प्राप्त t का मूल्य 0.5245 है। यह सार्थकता के दोनों स्तरों से कम है अतः शून्य परिकल्पना स्वीकृत होती है कि माध्यमिक स्तर के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के शहरी व ग्रामीण के विद्यार्थियों के समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

परिकल्पना 2

शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों के समायोजन में सार्थक अन्तर नही पाया जाता है।

क्र. स.	शहरी क्षेत्र के विद्यार्थी	संख्या N	Mean	S.D	t	स्वीकृत / अस्वीकृत
1	अनुसूचित जाति के विद्यार्थी	20	38.1	9.06	1.0192	स्वीकृत
2	जनजाति के विद्यार्थी	20	40.75	7.33		

df = (N_1+N_2-2) = (20+20 – 2) = 38

df 78 के लिए t का अपेक्षित मान

0.05 स्तर पर 2.02

0.01 स्तर पर 2.71

आरेख 4.2

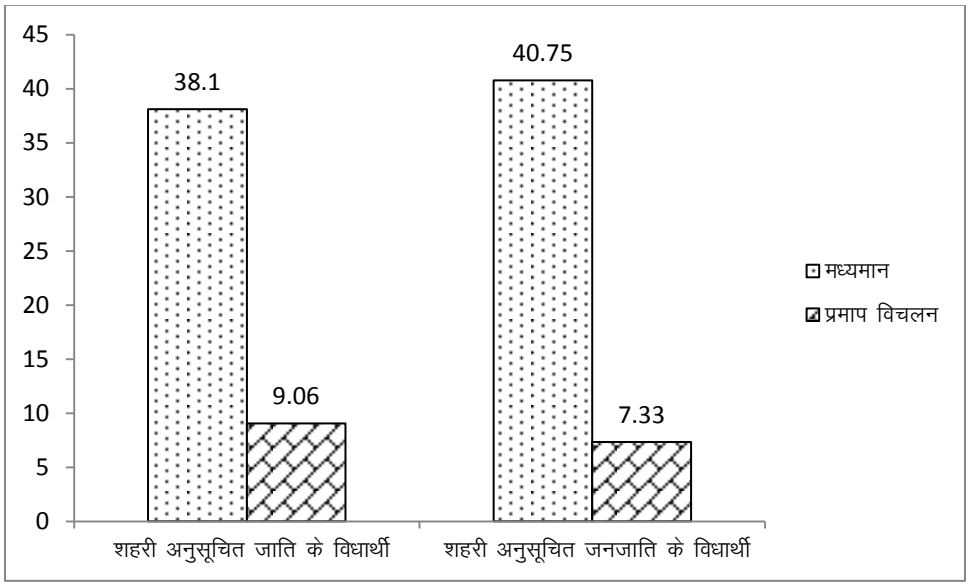

विश्लेषण –

तालिका 4.2 का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति व अनु. जनजाति के विद्यार्थियों के समायोजन का मध्यमान क्रमशः 38.1 एवं 40.75 प्रमाप विचलन 9. 06 एवं 7.33 तथा t का मान 1.0192 हुआ है।

df 38 के लिए t का अपेक्षित मान 0.05 स्तर पर 2.02 तथा 0.01 पर 2.71 है। जबकि प्राप्त t का मूल्य 1.0192 है। यह सार्थकता के दोनों स्तरों से कम है अतः शून्य परिकल्पना स्वीकृत होती है शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों के समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

परिकल्पना 3

ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों के समायोजन में सार्थक अन्तर नही पाया जाता है।

क्र. स.	ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी	संख्या N	Mean	S.D	t	स्वीकृत / अस्वीकृत
1	अनुसूचित जाति के विद्यार्थी	20	37.6	8.75	0.4823	स्वीकृत
2	जनजाति के विद्यार्थी	20	39.1	10.48		

df = (N_1+N_2-2) = (20+20 – 2) = 38

Df 38 के लिए t का अपेक्षित मान

0.05 स्तर पर 2.02

0.01 स्तर पर 2.71

आरेख 4.3

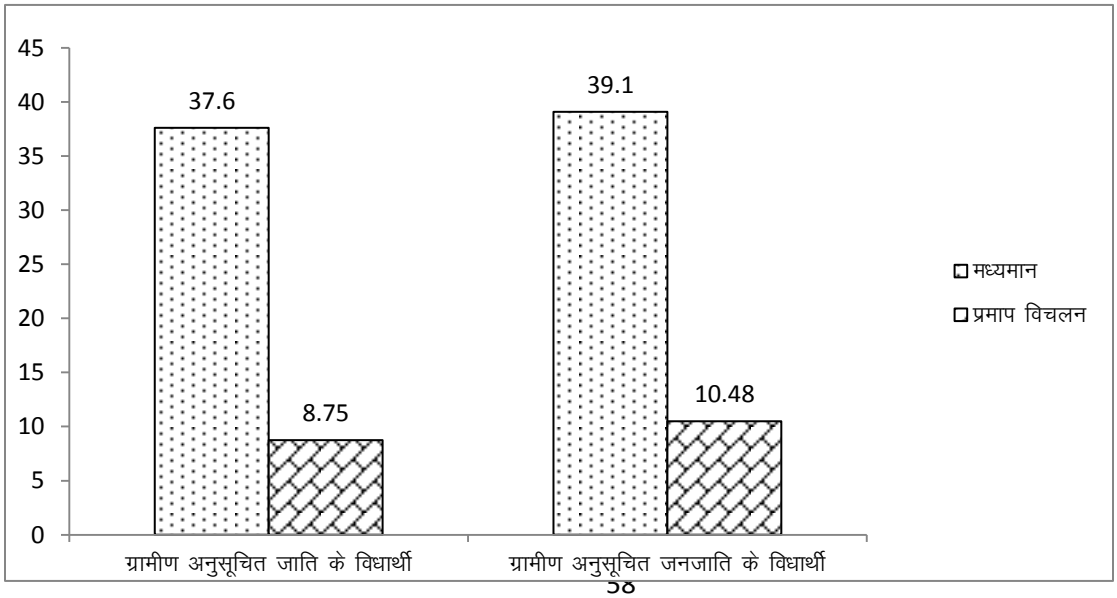

विश्लेषण –

तालिका 4.3 का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति व अनु. जनजाति के विद्यार्थियों के समायोजन का मध्यमान क्रमशः 37.6 एवं 39.1प्रमाप विचलन 8. 75एवं 10.48 तथा t का मान 0.4823 हुआ है।

df 38 के लिए t का अपेक्षित मान t का मूल्य है 0.05 स्तर पर 2.02 तथा 0.01 पर 2.71 है। जबकि प्राप्त t का मूल्य 0.4823 है। जब कि यह सार्थकता के दोनों स्तरों से कम है अतः शून्य परिकल्पना स्वीकृत होती है शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों के समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

परिकल्पना 4

शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों के समायोजन में सार्थक अन्तर नही पाया जाता है।

क्र. स.	शहरी क्षेत्र के अनु.जाति. के विद्यार्थी	संख्या N	Mean	S.D	t	स्वीकृत / अस्वीकृत
1	छात्र	10	36.9	9.99	0.8480	स्वीकृत
2	छात्राएं	10	39.3	7.84		

df = (N_1+N_2-2) = (10+10 – 2) =18

df 18के लिए t का अपेक्षित मान

0.05 स्तर पर 2.10

0.01 स्तर पर 2.88

आरेख 4.4

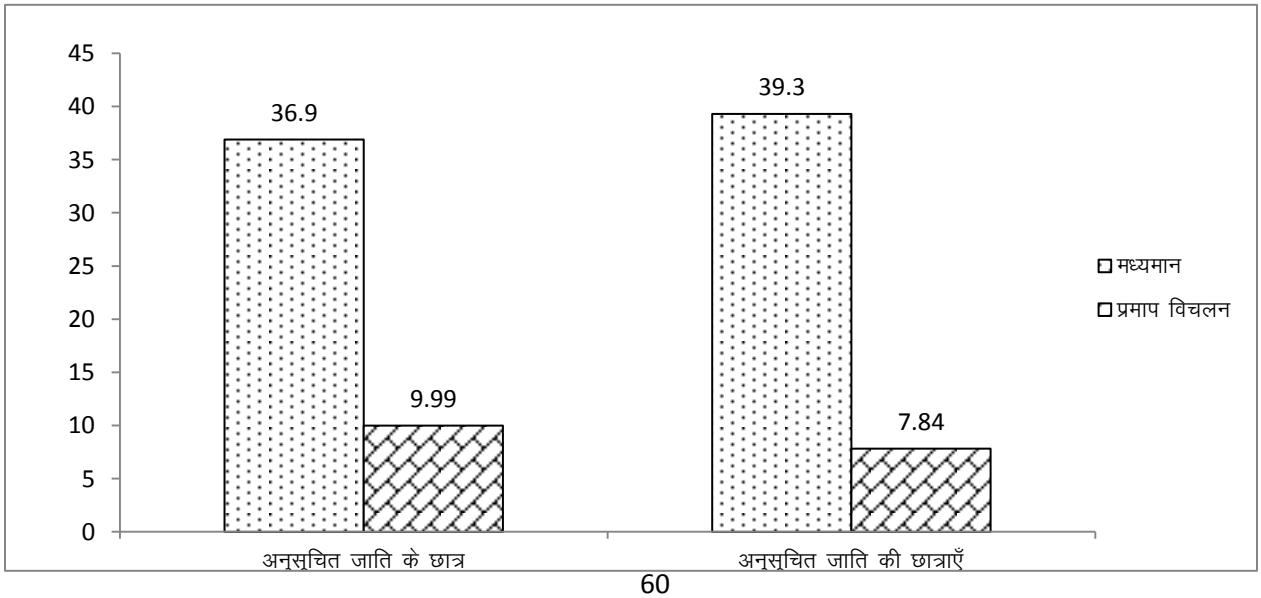

विश्लेषण –

तालिका 4.4 का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति व अनु. जनजाति के छात्र छात्राओं के समायोजन का मध्यमान क्रमशः 36.9 एवं 39.3 प्रमाप विचलन 9. 99 एवं 7.84 तथा t का मान 0.8480 हुआ है।

df 18 के लिए t का अपेक्षित मान 0.05 स्तर पर 2.10 तथा 0.01 पर 2.88 है। जबकि प्राप्त t का मूल्य 0.8480 है। यह सार्थकता के दोनों स्तरों से कम है अतः शून्य परिकल्पना स्वीकृत होती है शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र छात्राओं के समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

परिकल्पना 5

शहरी क्षेत्र में जनजाति के छात्र छात्राओं के समायोजन में सार्थक अन्तर नही पाया जाता है।

क्र. स.	शहरी क्षेत्र के अनु. जनजाति के विद्यार्थी	संख्या N	Mean	S.D	t	स्वीकृत / अस्वीकृत
1	लड़के	10	42.5	8.11	1.1006	स्वीकृत
2	लड़कियां	10	39	5.96		

df = (N_1+N_2-2) = (10+10 – 2) =18

Df 18के लिए t का अपेक्षित मान

0.05 स्तर पर 2.10

0.01 स्तर पर 2.88

आरेख 4.5

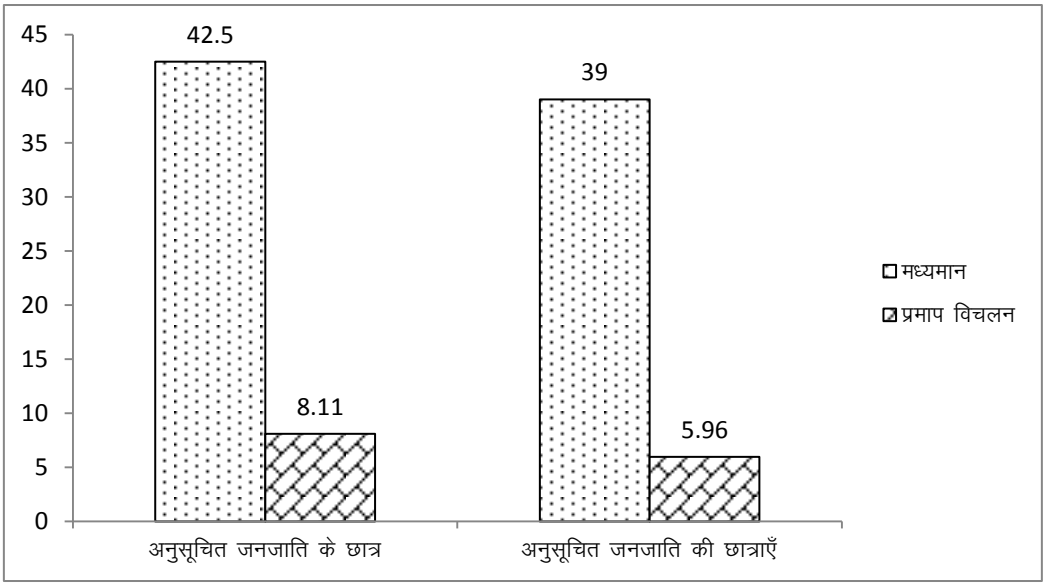

विश्लेषण –

तालिका 4.5 का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के समायोजन का मध्यमान क्रमशः 42.5 एवं 39 प्रमाप विचलन 8.11 एवं 5.96 तथा t का मान 1.1006 हुआ है।

df 18 के लिए t का अपेक्षित मान 0.05 स्तर पर 2.10 तथा 0.01 पर 2.88 है। जबकि प्राप्त t का मूल्य 1.1006 है। यह सार्थकता के दोनों स्तरों से कम है अतः शून्य परिकल्पना स्वीकृत होती है शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

परिकल्पना 6.

ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति क छात्र छात्राओ के समायोजन में सार्थक अन्तर नही पाया जाता है।

क्र. स.	अनु.जाति के विद्यार्थी	संख्या N	Mean	S.D	t	स्वीकृत / अस्वीकृत
1	छात्र	10	40.2	5.77	1.394	स्वीकृत
2	छात्राएं	10	35	10.31		

df = (N_1+N_2-2) = (20+20 – 2) = 18

Df 18 के लिए t का अपेक्षित मान

0.05 स्तर पर 2.10

0.01 स्तर पर 2.88

आरेख 4.6

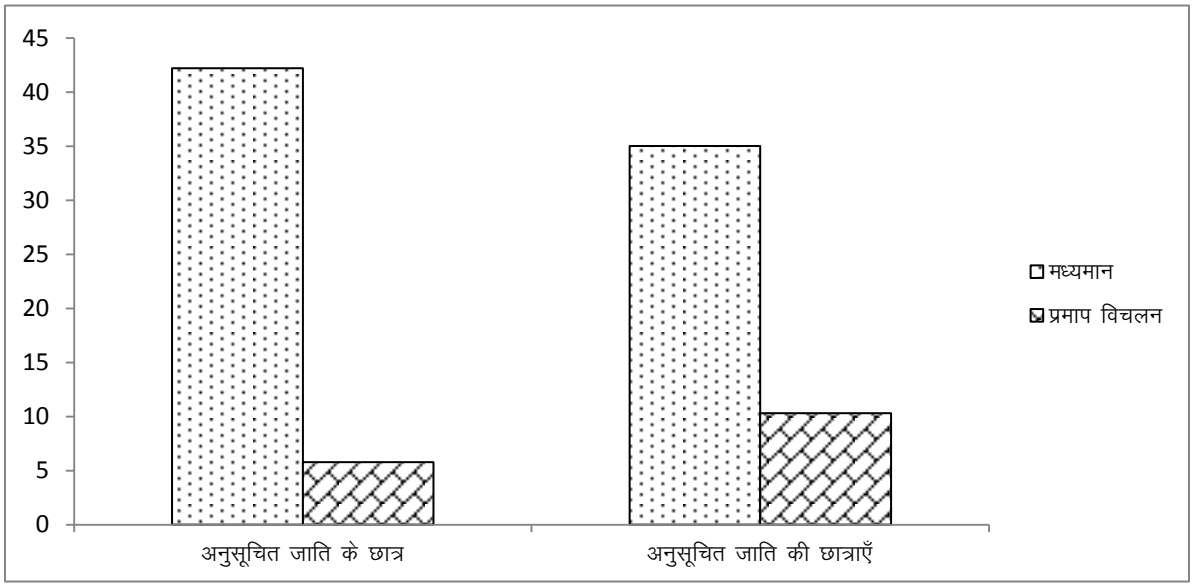

विश्लेषण –

तालिका 4.6 का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के समायोजन का मध्यमान क्रमशः 40.2 एवं 35 प्रमाप विचलन 5.77 एवं 10.31 तथा t का मान 1.394 हुआ है।

df 18 के लिए t का अपेक्षित मान 0.05 स्तर पर 2.10 तथा 0.01 पर 2.18 है। जबकि प्राप्त t का मूल्य 1.394 है। जब कि यह सार्थकता के दोनों स्तरों से कम है अतः शून्य परिकल्पना स्वीकृत होती है ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं के समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

परिकल्पना 7

ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति क छात्र छात्राओ के समायोजन में सार्थक अन्तर नही पाया जाता है।

क्र. स.	ग्रामीण क्षेत्र के जनजाति के विद्यार्थी	संख्या N	Mean	S.D	t	स्वीकृत/अस्वीकृत
1	छात्र	10	38.9	12.07	0.082	स्वीकृत
2	छात्राएं	10	39.3	9.45		

df = (N_1+N_2-2) = (20+20 – 2) = 18

Df 18 के लिए t का अपेक्षित मान

0.05 स्तर पर 2.10

0.01 स्तर पर 2.88

आरेख 4.7

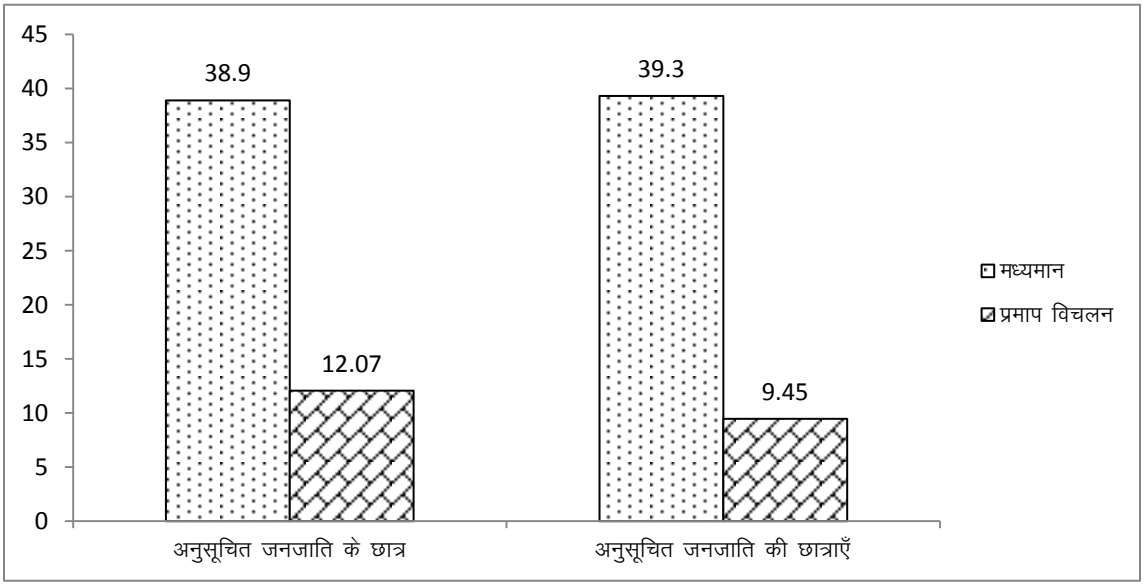

विश्लेषण –

तालिका 4.7 का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं के समायोजन का मध्यमान क्रमशः 38.9 एवं 39.3 प्रमाप विचलन 12.07एवं 9.45 तथा t का मान 0.082 हुआ है।

df 18 के लिए t का अपेक्षित मान 0.05 स्तर पर 2.10 तथा 0.01 स्तर पर 2.88 है। जबकि प्राप्त t का मूल्य 0.082 है। जब कि यह सार्थकता के दोनों स्तरों के मान से कम है अतः शून्य परिकल्पना स्वीकृत होती है ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं के समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता हैं।

अध्याय पंचम

शोध के निष्कर्ष, शैक्षिक निहितार्थ एवं सुझाव

5.1 प्रस्तावना :–

शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बालक का सर्वागीण विकास करना हैं। बालक का समुचित विकास तब ही हो सकता है, जब उसके अध्ययन आदत सन्तोषजनक हो अर्थात् बालक का शैक्षिक वातावरण इस प्रकार का हो जिसमें वह अपने अध्ययन आदत के सार्थक समायोजन कर सके ऐसी स्थिति में बालक का विकास विपरित असमायोजन की दिशा में बालक सदैव तनाव ग्रस्त रहेगा तथा उसका विकास अवरूद हो जाता है। बालक की दिशा इस प्रकार होनी चाहिए कि वह अपने जीवन में आने वाली किसी भी परिस्थिति व कठिनाई का सामना कर सकें। इसके लिये बालक का शारीरिक व मानसिक विकास अच्छा होना आवश्यक है। तब ही वह अपने को समायोजन कर सकता हैं। विज्ञान व तकनीक में प्रत्येक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया हैं। भारत देश ने भी विज्ञान व तकनीकी के क्षेत्र में नये नये आयाम स्थापित किये है, उद्योग, कृषि, व्यापार, रक्षा आदि क्षेत्रों विज्ञान व तकनीकी के बल पर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। शिक्षा जगत भी इसके प्रभाव से अछुता नहीं है। स्वाधीनता के पश्चात् भारत विकास के पथ पर निन्तर अग्रसर है देश की साक्षरता दर में वृद्धि हुई। सामाजिक सेवाओं का विस्तार हुआ है। परन्तु सहानुभूति की गोद में, एक पीड़ा छिपी हुई है समाज मे व्यापत नेतृत्वहीनता आर्थिक स्थिति में पिछड़ापन एवं समायोजन आज एक तरफ बहुत धनी, उच्च जाति व उच्च वर्ग के लोग है, तो वह अपने आप में समायोजन नहीं कर सकते।

इस शोध कार्य में अध्ययन का विषय है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों के मध्य समायोजन का अध्ययन करना।

5.2 शोध का सारांश :–

समस्या का औचित्य :–

वर्तमान युग प्रतियोगिता इस प्रतियोगिता की शुरूआत विद्यालयी स्तर पर हो जाती है समाज परिवर्तनशील है और समाज के आधार पर ही शिक्षा का अस्तित्व टिका हुआ है। समाज मे विभिन्न वर्ग जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र आदि के आधारों पर समाज का निर्माण हुआ था। तथा शुद्रो का समाज मे हेय दृष्टि से देखा जाता था। फलस्वरूप अनुसूचित जाति व जनजाती के छात्रों का शैक्षिक विकास नहीं होने के कारण उनका शिक्षा के प्रति झुकाव कम था कालान्तर में सभ्यता के साथ–साथ उनकों बिना किसी भेदभाव किय शैक्षिक अवसरों में समानता दिया गया। कई वर्षो से पिछड़े होने के कारण आज वे सामान्य जाति व अनुसूचित जाति व जनजाति के समायोजन मे अन्तर आना स्वाभाविक है।

शिक्षा समाज के रूचि की एक उचित व्यवस्था है, शिक्षा के माध्यम से ही बालक में समाजिक गुणों का विकास होता हैं। समाज की संरचना में परिवर्तन होन पर शिक्षा में भी परिवर्तन आवश्यक हैं। विद्यार्थी विद्यालय की विभिन्न परिस्थितियों मे अपने आपको समायोजित नही कर पाते है जिससे वे हमेशा कुठितः हो जाते है तथा उनमें हीन भावना बनी रहती है। जिसके कारण विद्यार्थी के समक्ष अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है जिससे या तो बालक शिक्षक के व्यवहार कक्षा के अर्न्तगत जो निम्न जाति के विद्यार्थी होते है उनमें अध्ययन के साथ समायोजन करने की शक्ति बहुत कम होती हैं।

शिक्षा की वर्तमान स्थिति मे विद्यार्थी अपनी आकांक्षा के अनुरूप शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। कभी कुछ विद्यार्थी कुछ शिक्षकों के भेदभाव व्यवहार के कारण कक्षा में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते और समायोजन के अभाव में भी विद्यार्थी हीन भावना के शिकार हो जाते है। इससे विद्यार्थी कुसमायोजित हो जाते हैं और उनका संवेगात्मक सामाजिक व शैक्षिक विकास नहीं के बराबर हो जाता है। अतः जब विद्यार्थी कुसमायोजित होकर हीन भावना के शिकार हो जाते हे तब ऐसी स्थिति मे उनके समायोजन व लक्ष्य की पूर्ति हेतु शिक्षकों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे विद्यार्थी को उनके अनुकूल के शिक्षा देने का प्रयास करें तथा उनके

लक्ष्य को ध्यान मे रखते हुए उन्हें प्रेम व प्रोत्साहन द्वारा समायोजित करें और विद्यार्थियों में प्रतिकूल स्थितियों में भी स्थिरता बनाये रखने की क्षमता का विकास किया जायें।

समस्या कथन :–

''माध्यमिक स्तर के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थीयों के मध्य समायोजन का सर्वेक्षणात्मक अध्ययन।''

शोध के उद्देश्य :–

1. माध्यमिक स्तर के अनुसूचित जाति के अनुसूचित जनजाति के छात्रों के समायोजन में सर्वेक्षणात्मक का अध्ययन करना।
2. ग्रामीण एवं शहरी छात्रों के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों में समायोजन का सर्वेक्षणात्मक अध्ययन करना।
3. छात्र एवं छात्राओं के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों में समायोजन का सर्वेक्षणात्मक का अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पनाएँ :–

1. माध्यमिक स्तर के अनुसूचित जाति व जनजाति के शहरी व ग्रामीण के विद्यार्थियों के समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता हैं।
2. शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों के समायोजन मे सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता हैं।
3. ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों के समायोजन मे सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता हैं।
4. शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं के समायोजन मे सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता हैं।
5. शहरी क्षेत्र में जनजाति के छात्र–छात्राओं के समायोजन मे सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता हैं।

6. ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं के समायोजन मे सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता हैं।

7. ग्रामीण क्षेत्र में जनजाति के छात्र–छात्राओं के समायोजन मे सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता हैं।

शोध विधि :–

प्रस्तुत शोध में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया।

न्यादर्श :–

प्रस्तुत अध्ययन के लिए जयपुर जिले में ग्रामीण व शहरी माध्यमिक विद्यालय का चयन किया गया इसमे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के 80 विद्यार्थियों को लिया गया हैं।

उपकरण :–

प्रस्तुत लघुशोध में डॉ.श्रीमती ललिता शर्मा द्वारा प्रमाणीकृत समायोजन मापनी उपकरणों का प्रयोग किया गया है।

शोध में प्रयुक्त सांख्यिकी :–

प्रस्तुत शोध में प्रतिशत मध्यमान, प्रमाणिक विचलन व टी परीक्षण का प्रयोग किया जाता हैं।

1. मध्यमान ज्ञात करने का सूत्र

$$M = \frac{\sum x}{n}$$

M = मध्यमान

$\sum x$ = प्राप्तांकों का योग

N = प्राप्तांकों की संख्या

2. प्रमाणिक विचलन (Standard Deviation)

$$SD = \sqrt{\frac{\sum d^2}{N}}$$

SD = मानक विचलन

$\sum d^2$ = मध्य मान से ज्ञात किये गये विचलनों का कुल योग

N = प्राप्तांकों की संख्या

3. 'टी' मान परीक्षण

$$t = \frac{M_1 - M_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1{}^2}{N_1} + \frac{\sigma_2{}^2}{N_2}}}$$

t = टी मूल

M_1 = प्रथम समूह का मध्यमान

M_2 = द्वितीय समूह का मध्यमान

$\sigma 1^2$ = प्रथम समूह का प्रमाणिक विचलन का

$\sigma 1^2$ = द्वितीय समूह का प्रमाणिक विचलन का

N_1 = प्रथम समूह के न्यादर्श की संख्या

N_2 = द्वितीय समूह के न्यादर्श की संख्या

5.3 परिकल्पना के आधार पर निष्कर्ष :–

परिकल्पना 1

माध्यमिक स्तर के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के शहरी व ग्रामीण के विद्यार्थियों के समायोजन में टी तालिका के मान 0.05 व 0.01 में कोई अन्तर नहीं पाया गया। इससे निष्कर्ष निकलता है कि माधमिक स्तर के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के शहरी व ग्रामीण विद्यालयों के विद्यार्थियों में भिन्नता होते हुए भी उनके समायोजन की प्रति जागरूकता में समानता पाई जाती हैं।

परिकल्पना 2

शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के समायोजन में टी तालिका के मान 0.05व 0.01 में कोई अन्तर नहीं पाय गया।
इससे निष्कर्ष निकलता है कि माध्यमिक स्तर के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के शहरी विद्यालयों के शहरी विद्यालयों के विद्यार्थियों में भिन्नता होते हुए भी उनके समायोजन की प्रति जागरूकता में समानता पाई जाती हैं।

परिकल्पना 3

ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के समायोजन मे टी तालिका के मान 0.05 व 0.01 में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।
इससे निष्कर्ष निकलता है कि माध्यमिक स्तर क अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों मे भिन्नता होते हुए भी उनके समायोजन के प्रति जागरूकता में समानता पाई जाती हैं।

परिकल्पना 4

शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं के समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है इससे निष्कर्ष निकलता है कि शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं में भिन्नता होते हुए भी उनके समायोजन क्षमता के प्रति समान जागरूकता पाई जाती हैं।

परिकल्पना 5

शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं के समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया इससे निष्कर्ष निकलता है कि शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं में भिन्नता होते हुए भी उनके समायोजन क्षमता के प्रति समान जागरूकता पाई जाती हैं।

परिकल्पना 6

ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं के समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया इससे निष्कर्ष निकलता है कि ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं में भिन्नता होते हुए भी उनके समायोजन क्षमता के प्रति समान जागरूकता पाई जाती हैं।

परिकल्पना 7

ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं के समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया इससे निष्कर्ष निकलता है कि ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं में भिन्नता होते हुए भी उनके समायोजन क्षमता के प्रति समान जागरूकता पाई जाती हैं।

5.4 प्रस्तुत शोध के शैक्षिक निहितार्थ :–

प्रत्येक शोध कार्य तभी सफल माना जा सकता है कि वह शिक्षा के क्षेत्र में अथवा समाज और राष्ट्र के लिए ऐसा योगदान प्रस्तुत करता हो जो कि समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक हो शिक्षा व्यक्ति के सर्वागीण विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

विद्यालय केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं देते अपितु व्यक्तित्व विकास के बहुआयामी क्षेत्रों से भी विद्यार्थी को परिचय करवाते हैं। जीवन के विविध पक्षों में आने वाली समस्याओं व उनके समाधान को प्रस्तुत करते है इस शोध कार्य में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के मध्य का समायोजन किया गया हैं।

इस अध्ययन का केन्द्र बिन्दु अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का समायोजन का अध्ययन करना था कि वे विद्यालय में सामान्य जाति के विद्यार्थियों की भांति अपना दायित्व रख पाते है। इस सब की जानकारी प्राप्त करना इस अध्ययन का मुख्य लक्ष्य था। शोधकर्त्री ने इस मुख्य लक्ष्य का अध्ययन किया तो निष्कर्ष निकला कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी चाहे कितना भी गरीब व किसी समाज व जाति का हो वह समायोजन कर सकता है अगर उसे अच्छा विद्यालय व शिक्षकों का समर्थन प्राप्त हो। प्राचीन काल में ही समयोजन का महत्व रहा है। जिन व्यक्तियों ने अपने जीवप में समायोजन कर लिए वे अपने लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त करते हैं।

शिक्षकों हेतु सुझाव :–

1. शिक्षक छात्र–छात्राओं में भेद न करे सभी को आगे आने का अवसर प्रदार करें।
2. शिक्षक शैक्षिक भ्रमण का आयोजन कर विद्यार्थियों की सहभागिता से कार्य को सम्पन्न करवाना।
3. विद्यालय में विद्यार्थियों में समुचित विकास के लिए शिक्षक समिति का गठन अनिवार्य रूप से करवाना चाहिए।

4. शिक्षक को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को सदैव प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे उनके अन्दर से जाति के प्रति हीन भावना को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

5. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उन्हे मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए।

6. विद्यार्थियों के लक्ष्य की पूर्ति हेतु उन्हें उनकी रूचि क अनुसार शिक्षा देनी चाहिए।

विद्यार्थी हेतु सुझाव :–

1. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अपने अन्दर हीन भावना नहीं लानी चाहिए।

2. विद्यार्थी विद्यालय में वाद–विवाद प्रतियोगिता, खेल आदि में भाग लेना चाहिए।

3. विद्यार्थी सभी के साथ समानता का व्यवहार करे।

4. छात्र व छात्राओं अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करें।

5. प्रत्येक विद्यार्थी को अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक होना चाहिए।

6. प्रत्येक विद्यार्थी को शैक्षिक सत्र के दौरान बाह्य क्रिया कलापों में रूचि लेनी चाहिए।

अभिभावकों हेतु सुझाव :–

1. आस–पड़ौस से ऐसे समायोजन रखे जिससे बच्चे का अपने दल के सदस्यों के साथ अच्छे सम्बन्ध बन सके, वह अपने दल के सदस्यों में समायोजन रख सके।

2. अभिभावक समय–समय पर कक्षाध्यापक व प्रधानाअध्यापक से सम्बन्ध बनाये रखें।

3. विद्यार्थियों को घर पर अध्ययन हेतु पर्याप्त समय दें।

5.5 भावी शोध हेतु सुझाव :–

1. प्रस्तुत अध्ययन में न्यादर्श के रूप में माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को लिया गया है अतः इसका अध्ययन उच्च माध्यमिक, महाविद्यालय व विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों पर भी किया जा सकता हैं।

2. इस शोध कार्य में जयपुर जिले के अलावा अन्य जिलों को चुना जा सकता हैं।

3. यह अध्ययन आदिवासी क्षेत्रो, पहाड़ी क्षेत्रों व रेतीले क्षेत्रों के विद्यार्थियों का न्यादर्श लेकर किया जा सकता हैं।

4. इसका अध्ययन एकल व सयुक्त परिवार के विद्यार्थियों का न्यादर्श लेकर भी किया जा सकता हैं।

5. इस शोध अध्ययन में शोधकर्त्री द्वारा डाटा के लिए चार विद्यालयों को ही चुना गया है भविष्य में इस अध्याय को अधिक विद्यालयों पर डाटा डालकर भी कर सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अस्थाना विपिन, श्वेता (2007) ''मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन और मूल्याकंन अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा''

2. भटनागर, सुरेश, (2006), ''शिक्षा के मनौवैज्ञानिक तथा शिक्षण शास्त्र, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरां।''

3. भार्गव, महेश (2005), ''आधुनिक मनोवैज्ञानिक परिक्षण व मापन, एव पी. भार्गव बुक हाऊस, आगरा।

4. भार्गव, महेश (2005), ''विशिष्ट बालक शिक्षा एवं पुर्नवास, एच.पी. भार्गव बुक हाऊस, आगरा।''

5. बिस्ट, आभा रानी(2007), ''सम्सेनाः विशिष्ट बालका, अग्रवाल पब्लिकशन स्वाति''

6. मंगल, एस. के. (2008), ''एडवासन्क एजूकेशनल, साइकोलॉजी, प्रिंटिस हॉल ऑफ इण्डिया, प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।''

7. ओड़ एल. के (1990), ''शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि, राजस्थान हिन्दी ग्रन्था अकादमी।''

8. मिश्रा, मदनमोहन चौधरी अरावसिंह (1973) ''पिछड़े बालकों की शिक्षा, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।''

9. पाठक, पी.डी. , '' शिक्षा मनोविज्ञान, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगार – 7''

10 परवीन ,अविदा (2007) ''शिक्षण एवं अधिगम के मनो–सामाजिक आधार आस्था प्रकाशन''

11. राय, पारसनाथ, (1973) ''अनुसंधान परिचय, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा।

12 सरीन एवं सरीन, (2007), ''शैक्षिक अनुसंधान विधियां, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा–7''

13. सिंह, अरूण कुमार (2004),''मनोविज्ञान समाजशास्त्र तथा शिक्षण में शोध विधियों, मोतीलाल बनारसीधाम पब्लिशर्स, दिल्ली।''

14. सिंह, राजपाल, ओ,पी, शर्मा, ''शैक्षिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी अग्रवाल पब्लिशन, आगरा–7''

15. श्री वास्तव, डी.एन., वर्मा, प्रीति, ''बाल मनोविज्ञान : बाल विकास, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा''

16. श्री वास्तव, डी.एन. (2007), '' सांख्यिकी एवं मापन, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा–7''

17. शर्मा, आर. ए. (2008) ,''शिक्षण अनुसंधान, लायल बुक डिपो, मेरठ''

पत्रिकाएं :–

भारतीय आधुनिक शिक्षा :– ''नई दिल्ली, (जुलाई 2005)''

सृजन (शोध विशेषक) :– ''केशवविद्यापीठ, जामडोली, जयपुर''

Journal's

1. ''द इम्पेक्ट ऑफ एकेडमिक एचीवमेन्ट एण्ड इन्टलीजेन्स ऑन एडजस्टमेन्ट ऑफ मेल, फीमेल स्टूडेन्ट, चौहान शिवनी, 1995 पी. एच. की. साइको''